

मीआदसे खारिज समझी जाती है परंतु डिगरीदार को यह इस्तियार होता है कि वह उस डिगरीकी बुनियाद पर नयादावाकर कर दूसरी डिगरी कराले इसमेंकर-सोंपर बहुत भारी बोझ पड़ता है क्योंकि डिगरीदारकी बेपरवाही के कारण उनको अदालत का स्वर्चा दूसरी दफ्ते हेना पड़ता है इसलिये यह क्रायदा अब रद्दकिया जाता है और जो डिगरी मीआद से खारिज हो उसकी बुनियादपर केवल उसी दक्ष नयामुक्तदमा सुनाजायगा कि जब मुद्दई मदयूनके इलाकेसे बाहर चलेजानेसे या किसी और ऐसे कारणसे जिसमें मुद्दईकी बेपरवाही न पाईजावे डिगरी जारी न करासके तो मुद्दई उस अदालतकी परवानगीसे जिसने पहले डिगरीदी हो दूसरी दफ्ता नालिश करसकता है ॥

दफ्ता(४) दीवानीकी अदालतें अपने अपने इस्तियार के अंदर वो सब मुक्तदमे सुने वो फैसल करेंगी जिनकी बुनियाद किसीमुआहिदे या नुक्सान हक्कपर हो परंतु जो मुक्तदमे भलमनसाहत के बिपरीत बातों की बाबत हों या जुयेंकी तो नहीं सुनेजांधंगे जैसे जो कोई रंडी अपने आशनापर दावाकरे या किसी ऐसेमकानके भाड़ेका दावा किया जाय जो कसब करानेके लिये

मुद्दई और उसके मुख्तारकी जोकोई हो—होनी चाहिये और उसमें नीचेलिखीहुई बातेंभी लिखीजानीचाहियें ॥

(१) मुद्दई का नाम उसके बापकानाम और ज्ञात और रहनेकी जगह ॥

(२) मुद्दआअलैह की निस्वत भी जहांतक मुम्किन वो मालूमहों येहीबातें लिखीजानी चाहियें ॥

(३) नालिशका कारण और दावेकी तादाद जैसे कितना रुपयाथा कितना वसूलहुआ और क्याब्याज लगाया इत्यादि ॥

(४) मक्कदमेका खुलासा हाल यानी नालिश की बुनियाद जो पैदाहुई हो और ज्ञगड़े की सूरत जो उस बक्त हो ॥

(५) जो दस्तावेज़े और हिसाब की नक्ल अरजी दावेकेसाथ पेशहों उनकीफर्दभी दाखिल होनीचाहिये ॥

दफ्ता (६) अरजीदावेको तस्दीक इस्तरह पर होनी चाहिये मैं फ़लाना मुद्दई जिसका नाम ऊपर लिखा है तस्दीककरताहूं किजो कुछ अरजी दावेमें लिखा है वो जहांतक मैंजानता वो यक्कीन करताहूं बिलकुलसचहै ॥

दफ्ता (१०) अरजीदावेपर हुक्मलिखाने या कोई और कार्रवाई करनेसे पहले जो अदालतकी राय में मुद्दईका

नाम वापका नामज्ञात और रहने की जगह और नालिश की वुनियाद और हाज़िरी का वक्त भी साफ़ लिखा जावे॥

दफा (१४) सम्मन या कैफ़ियत या काग़ज़ जो अदालत से जारी हो उसकी दो परत होनी चाहिये एक मुद्रा अल्ले ह या गवाह को दीजावे और ढूसरी पर मुद्रा अल्ले ह या गवाह के जैसी कि सूरत हो इत्तिलापाई के दस्तख़्त कराकर मिसल में शामिल होनी चाहिये सम्मन पर हाकिम के दस्तख़्त और अदालत की मोहर रियासत के दस्तूर मुवाफ़िक होनी चाहिये ॥

दफा (१५) जो बनेतो सम्मन मुद्रा अल्ले ह के हाथ में दिया जावे जो मुद्रा अल्ले ह न मिले तो उसके घर के किसी मर्द को जो नाबालिश न हो ॥

दफा (१६) जो अदालत को यह निश्चय हो जाय कि मुद्रा अल्ले ह रिया सत में मौजूद है परन्तु सम्मन के बचाव के लिये छिप गया और ढूंढ़ने से पता नहीं मिला तो एक इत्तिलाअ नामा ऐसी भी आदका जो पंद्रह दिन से कम नहो उसके घर पर चिपकादे और उसमें यह हुक्म देकि वो अदालत में हाज़िर हो और जो न होगा तो मुक़द्रमा एकतरफ़ी फैसल कर दिया जायगा जो ऐसी ताक़ीद करने पर भी मुद्रा अल्ले ह कचहरी में न आवे तो अदालत को समझलेना

स्वास्तदे जो दावा पचासरुपयेतक का हो तो ऐसीदूर स्वास्त आठआनेके इस्टामपर पंद्रह दिनके अंदरदाखिलहोनीचाहिये और जो दावापचास रुपयेसे जियादा काहो तो एकरुपयेकेइस्टामपर और यहदाम मुद्दई को मुजरा नहीं दिलाये जायेंगे ॥

दफ्ता (२०) जो मुद्दई हाजिरहो और मुद्दआओलेह नहीं आयाहो तो मिसलकासबूत देखकर मुक्कदमा एकतरफ़ी फ़ैसल करदिया जायगा परंतु अदालत इसवातको निश्चय करले कि मुक्कदमे के सुननेकी तारीखकी इत्तिलाओं मुद्दआओलेहको होगई अगर जरूरत होतो ऐसी डिगरी में मदयूनके उजरातपर इजरायडिगरीमें गौरहो सकता है ॥

दफ्ता (२१) जो अदालत किसी कारणसे सुनासिद्ध समझे तो मुक्कदमे के सुननेके लिये कोई दूसरादिन मुक्कर्र करके मुद्दआओलेह को इत्तिलाओं देसकती है परंतु मुद्दईको भी उसहुक्म की इत्तिलाओं देनी चाहिये ॥

दफ्ता (२२) तारीख मुक्कर्रह पर जब फ़रीकँैन हाजिर होजावें तो अरजीदावा मुद्दआओलेह को पढ़कर सुनायाजावे और उससे हलफ़न् पूँछाजाय कि उसको मुद्दईके दावेसे इनकार है या इक्कबाल जो इक्कबाल हो तो जियादह तहकीकात करनेकी ज़रूरत नहीं सिफर्दो

इनकारी मुश्किल से साबित होता है और यह आम बात है कि जब कोई शख्स एकबात पेश करे और दूसरा उससे इनकार करे तो अबल शख्स पर कि जो फ़ैसला कराना चाहे उस अघ्रका साबित करदेना लाजिम है ॥

दफ़ा (२७) अध्रतन्त्रकीहतलब क़रारदेने में अदालत को एहतियात रखना चाहिये कि कोई बहस जो मुक़दमे के बरखिलाफ़ हो न होनेपावै लेकिन ऐसा भौका ज़रूर देनाचाहिये कि जिससे मुक़दमे की असलियत व हक्कीकत दरियाप्त करने में मदद मिले ॥

दफ़ा (२८) जो सबूत तहरीरी बिनायदावे से तअल्लुक रखता है वो मुक़दमा दायर होतेही शामिल मिसल होजाना चाहिये किर बग़ैर अदालत के हुक्म के न लियाजावे और हरएक काग़ज पर जो मिसल में शामिल हो नस्वर और अनवान मुक़दमा और नाम उस फ़रीक का जिसने पेश किया हो लिखना चाहिये और उसपर हाकिमके दस्तखत होने चाहियें ॥

दफ़ा (२९) नीचे लिखीहुई दस्तावेज़े बिला स्खास हुक्म महकमे स्खासके सम्मतमें न लीजावै याने उनकी बुनियाद पर दावा नहीं सुनाजावे ॥

(३) जिस दस्तावेज़ को रजिस्टरी लाजिमी है और

दरजे के सबवसे माफ़ किये गये हैं जो गवाह या मुद्द-
आश्वलेह रियासत के नौकर हों वो अपने अफसर के
मारफ़त बुलाये जायेंगे ॥

दफ़ा (३३) जब फ़रीक्ने के गवाहों के इज़हार
क़लमबंद होचुके तो अदालत फ़रीक्ने के पेश किये हुये
तहरीरी वो तकरीरी सबूतका मुलाहिज़ा व गौर करने
के बाद मुकद्दमेकाफ़ सला लिखकर फ़रीक्ने को इतिलाज़
दें और जो फिर कोई बात दरियाफ़त तलब बाकीरह-
जावे तो उसके बास्ते हूसरी तारीख मुकर्रर करदे ॥

दफ़ा (३४) जो अदालत मुनासिब समझे तो फ़रीक्ने
की दरख्वास्त पर या बिला उनकी दरख्वास्त के नीचे
लिखी हुई बातोंकी कार्रवाई के लिये एक या ज़ियादह
आदमियों को कमीशन मुकर्रर करसकी है ॥

(१) ऐसे गवाहोंके इज़हार लेनेकेलिये जो हाज़िर
नहीं होसके या जो हाज़िरीसे मुआफ़ कियेगये हैं और
अदालत कमीशन को इज़हारलेने के निस्बत स्वास या
आमतौर पर हिदायत करसकी है ॥

(२) हिसाब देखने वो रिपोर्ट करने के लिये
चाहे उस में उनको राय हस्त मांशाय अदालत लोजावे
या नहीं ॥

दफा (३७) जो फरीक्नैन आपसमें फैसलाकर के अदालतको इतिलानदें तो अदालतको इस्खियारहोगा कि जिस फरीक्का कुसूरहो उसपर या दोनों फरीक्पर पांच रुपये तक जुर्माना करसकी है ॥

दफा (३८) जो फरीक्नैन चाहै कि मुकद्दमा एक या जियादह पंचों को फैसले के लिये सौप दिया जाय तो फरीक्नैन से एक शब्द स या हरएक फरीक से एक २ या दो २ पंचोंके नाम दरियापत करके उनसे इक्करारनामा इस मज़मून का लिखा लिया जावे कि जो कुछ वो पंच फैसला करदे वो उनको मंजूर बो क़बूलहोगा ऐसा इक्करारनामा दाखिल होनेपर अदालत मुकद्दमे को इक्करारनामे में लिखीहुई शर्तोंके मुवाफ़िक पंचोंके सिपुर्द करदे ॥

दफा (३९) पंचोंका फैसला अदालत का फैसला समझा जावेगा उसका अपील भी नहींहोगा और फरीक्नैनको मंजूर करनापड़ेगा ॥

दफा (४०) पंचोंका फैसला अदालतमें दाखिल होनेके पीछेदश दिनकीमोहल्त फरीक्नैन को इसवास्ते दीजावेगी कि जो किसी फरीक्को किसी पंचकी बिईमानीजाहिर वो साबित करनीहो तो उसमोहल्तमें करदे जब वो मीआदपूरी हो जावेकैफ़ियत पंचोंकी मंजूर करके मुकद्दमा फैसलकरदेना

दफ़ा (४५) हरएक गवाह का इज़हार जुदा जुदा लिखा जावेगा और इज़हारके ऊपर गवाह और उसके बापका नाम और जात और रहनेकी जगह पेशा और उमर-औरनाम मुद्रिया मुद्रित जिसका वो गवाह हो दर्ज कियाजावेगा और हरएक मुद्रित मुद्रित-लेह का अपने या दूसरे के गवाहसे सवाल करने की इजाजत देनी चाहिये परंतु अदालत को तजवीज करना होगा कि वो सवाल दुरुस्त हैं—बेसौके या फ़साद पैदाकरनेवाले सवाल करने की इजाजत हरगिज़नहीं दीजावेगी ॥

दफ़ा (४६) फ़ैसले पर दस्तखत हाकिम और तारीख होनी चाहिये और उस तजवीज में नीचे लिखी हुई बातें दर्ज कीजावें ॥

१—मुक़दमा का इव्तिदाईहाल २-जो बातें तनूकीह तलब हैं ३-तनूकीह तलब का नतीजा मध्यखुलासे बयानकिसीखास गवाहके जिसकी ज़रूरत हो ४-तजवीज अदालत ॥

दफ़ा (४७) यह ज़रूर नहींहै कि हर एक गवाह के बयान का खुलासा फ़ैसले में लिखाजावे ॥

दफ़ा (४८) दस्तखत करने के पीछे हाकिम तज-

जो क्रिस्तबंदीकी तजवीज हुई हो तो तारीख क्रिस्तों की और तादाद हरएक क्रिस्तके रूपयों की दर्जहोनीचाहिये—और तादाद ख्वरचे हरएक मुद्दई मुदआङ्गलेह की भी दर्ज होनी चाहिये और यह भी तफ़सील लिखदेनी चाहिये कि वो ख्वरचा किससे वसूल कियाजावेगा ॥

दफा (५१) हरएक सूरत में तजवीज ख्वरचे की अदालतही करेगी ॥

दफा (५२) जो कोई मुद्दई गैर इलाके का रहने वाला हो तो मुक्दमा पेशहोने पर उससे ज़मानत ख्वरचे मुदआङ्गलेह की दाखिल कराना ज़रूरहै ॥

दफा (५३) मुद्दई मुदआङ्गलेहको अखीर तजवीज से रूबरू इतिलाङ्गदेनी चाहिये—और जो ज़रूरत समझी जावेतो एक इतिलाङ्गनामा जिसमें ज़रूरी बातें दर्ज हों जारी कियाजावे उसपर दस्तखत इतिलाङ्गपाई फ़रीक़ैन के करालिये जावें ॥

दफा (५४) जब मुक्दमा फ़ैसलहोजावे तो लिखी हुई दरख्वास्त किसी मुद्दई मुदआङ्गलेह की पेश होने पर अदालत को नक़ल किसी काशज़ की जो मिसलमें शामिलहों या हुक्म अखीर की इस शर्त पर कि फ़ीस लिखाई जो मुकर्ररहे दाखिल करदीजावे देनी होगी ॥

करदे-और जो मुदआँलेह ज़मानत नदे तो जो जाय-
दाद मुदआँलेह की मुदई बतलावे वो अखीर हुक्म
होने तक कुर्क करदीजावे ॥

दफा (५७) जो ऐसे फैसले से पहलेकी कुर्की में
मुदई मुदआँलेह की उगाही बतलावे तो ऊपर लिखे
मुवाफ़िक इतमीनान करनेके बाद अदालतको उन आ-
दमियों के नाम जिनके ज़िस्मे मुदआँलेह का रूपया
बाकी होना ज़ाहिर किया जाय मनाई का हुक्म इसम-
ज़मूनका जारी करना चाहिये कि जब तक फिरहुक्मन
हो वो रूपया मुदआँलेहको नहै ॥

दफा (५८) जो मुदई अदालतके सामने हलफ़न्रब-
यानकरे और गवाह इसबातके पेशकरे किमुदआँलेह
भागना चाहता है तो अदालत मुदआँलेहसे हाजिर
ज़मानतमांगे और जो मुदआँलेह न दे तो मुकदमा
फैसल होने तक मुदआँलेह हवालात दीवानी में
रखा जावे ॥

दफा (५९) जो मुदआँलेह इसतरह हवालात में
रखा जावेगा उसको खूराक मुदईसे ली जावेगी और
मुकदमा फैसल होनेपर इसका बोझ उस फ़रोक्क पर
रहेगा जिसके ज़िस्मे खरचा डाला जावे ॥

डिगरीमेंसे और जो दावा खारिज होजावे तो मुद्दई से जिस वक्त उसके पास कोई जायदाद मिले ॥

दफा (६४) जो मुक्कदमा मुद्दई की अदमपैरवीके सबब से खारिज होजावे तो मुक्कदमका खरचा मुद्दई से जिस वक्त उसकी हैसियत हो या उसकी कोई जायदाद हाथ आजाय वसूल करना चाहिये और जो आपसमें फ़ैसला होजाने के सबब से मुक्कदमा नम्बररजिस्टर से कम कियाजावे तो फ़ीस मुकर्रा फ़ौरन् मुद्दई से वसूल करना चाहिये इजराय डिगरी—

दफा (६५) इजराय डिगरीकी दरख्वास्त उस अदालत में पेश होगी जहांसे डिगरी दी गई हो दरख्वास्त के साथ डिगरी की नक़ल भी पेश करनी चाहिये और उस दरख्वास्त में दरख्वास्त देनेवाले को हक़रसीकी सूरत साफ़ लिखनी होगी याने जो जायदाद बोकुर्के करना चाहता है उसकी मुफ़्सिल फ़ेहरिस्त दाखिल करे ॥

दफा (६६) ऐसी दरख्वास्त अपीलकी मोआद गुज़रने पर पेश होनी चाहिये परन्तु जो फ़ैसले से पहिले की कुर्की के मुवाफ़िक डिगरीदार दरख्वास्त पेश करे तो अदालत मदयून से ज़मानत मांग सकती है और जो मदयून ज़मानत दाखिल न करे तो कुर्की जायदाद मनकूला

(१) खेतीके औजार-यादूसरे औजार जिनसे मदयून कमा कर खाताहै—

(२) मवेशी याने हलके बैल ॥

(३) हासिल और बीजकानाज और जो अदालत मुनासिब समझे कि हक्कीक़त में करसे के पास खानेकोन था और दूसरे आदमीने उसको दिया तो जितना मुनासिब समझे खादका भी गल्ला कुरक्की से कुड़ादे ॥

(४) नौकरकी आधी तनख्वाह ॥

(५) पिन्सन ॥

(६) तनख्वाह सिपाही वो सवार ॥

(७) मकान जिसमें करसारहताहो ॥

(८) खात ॥

दफ़ा(७१) चूंकि शादीके बक्त हतक्कके सिवाय मज्ह-हबी रसमर्मेभी फ़तूर पड़ताहै इसलिये ऐसे मौके पर फ़ैसलेसे पहिलेकी कुरक्की या इजराय डिगरीमें कुरक्की न होसकेगी ॥

दफ़ा(७२) जो डिगरी रहनकीहुई जायदाद परहोतो डिगरी दारको जायदादपर क़ब्जा दिला दिया जावेगा और जो रहननामेमें नक्कदरूपया वसूलहोनेकीशर्तलिखी हुईहो तो जायदाद नीलाम होकर हक्करसीकराईजायगी

दफा (७६) कुलजायदाद हैरमन्कूलाकी कीमतका तख्मीनातय्यार किया जावेगा और जो तरमीने के मुवाफ़ि- क कीमत नीलाम में न लगे तो जायदाद दुबारा नीलाम की जावे और जो फिर भी ज़रूर त हो तो तीसरों दफे उस वक्त जो आदमी ज़्यादह कीमत लगावे उसके नाम पर बोली खतम की जावेगी परन्तु यह नीलाम जब तक अदालत मंजूर न करे का मिल न समझा जावेगा ॥

दफा (७७) जिसकी आखीर बोली हो उस से नीलाम की चौथान उसी वक्त भरा ली जावे और फिर नीलाम की मंजूरी के लिये एक महीने की मिश्राद दी जायगी जो इस मिश्राद में मद्यून डिगरी का रूपया अदा करदे तो नीलाम रद कर दिया जावेगा मगर नीलाम करने वाले का कमीशन जो इक्की रूपये के हिसाब से लिया जाता है मद्यून को देना पड़ेगा और खरीदार नीलाम ने जो चौथान भरी थी वो वापिस दी जायगी ॥

दफा (७८) इस मिश्राद के गुजरने के बाद खरीदार नीलाम को सार्टफिकट नीलाम अदालत से दिया जावेगा और जायदाद पर उसका क़ज़ा करादिया जायगा और उसके पीछे मद्यून वो दूसरे उज्जरदार का

तादाद डिगरी	तादाद हवालात
तो डिगरी ५०) से ज्यादहनहो	एक महीना
तो डिगरी १००) से ज्यादहनहो	तीनमहीने
तो डिगरी २००) से ज्यादहनहो	चारमहीने
सरे मुक़दमों में	छः महीने

जिसवक्तु डिगरीदार हवालातकी दरख्बास्त पेश
रे उसको दरख्बास्त के साथ अदालत में ऐसी शरह
जिसकी तादाद ३, आने रोज़ासे ज्यादह न हो अ-
लतकी तजवीज़ के मुवाफ़िक एक महीने की ख़राक
दाम भरने होंगे और एकमहीना पूरा होनेसे पहिले
तो डिगरी ५०) से ज्यादह की हो तो मुद्दईको ख़राक
दाम फिर भरदेने चाहिये नहीं तो मिअ्राद पूरीहोने
र मदयून छोड़दिया जावेगा ॥

दफा (८३) जब वारंटके साथमदयून जेलखानेमें
जाजावे तो उसमें क़ैदकी मिअ्राद लिखदेनी चाहिये
और मदयूनसे जेलखानेनेमें कोई मेहनतका कामनहीं
ठथा जावेगा ॥

दफा (८४) मदयून उसीडिगरी के वास्ते दुबारा
वालातमें नहीं भेजाजायगा लेकिन मदयून का हवा-
लातमें जाना डिगरीदार की हक्करसी की मालकी

दफ़ा (८६) खरचा इजराय डिगरी और सूरक जो मदयून हवालातमें भेजाजाय मदयूनके जिस्म डाला जायगा ॥

उज्जरदारीकुरकी

दफ़ा (६०) उज्जरदारी कुरकीकी अर्जी आठ आने के इस्टाम्प पर पेश होगी और उसमें साफ़लिखना चाहिये कि किस हक्क के सबबसे दरख्बास्त पेशकी जाती है जो अदालत को दरख्बास्त बे बुनियाद मालूम नहो तो एक दिन उस के सुनने के लिये मुकर्रर करेगी और जो तारीख मुकर्रर करे उसकी इतिल़अ डिगरीदार मदयून और उज्जरदार को दीजावेगी और उसकी तहकीकात ऐसे ही की जावेगी जैसे मामूली नालिश की इसमें उज्जरदार मुद्दई और फरीकैन मुद्दआ अल्ले ह गरदाने जावेंगे - जो यह साबित हो जावे कि कुर्क किया हुआ माल या जायदाद मदयून की नहीं है तो कुर्क उठादी जावेगी ॥

दफ़ा (६१) जो यह साबित हो जावे कि माल या जायदाद उज्जरदार के पास गहने है तो उज्जरदार मुरतहिन को नीलाम के रूप ये भेसे पहले गहना भर का रूप या दिलाया जावेगा ॥

दफ़ा (६२) उज्जरदारी साबित हो जावेतो उज्जरदारी

दफा (६४) जो ऊपर लिखी हुई वजूहातमें से कोई वजह नहो तो अदालत को इस्थितथार होगा कि फरी-कैनको बग़ेर बुलाने के दख्खास्त नामंजूर करदे और जो कोई काफी वजह हो तो तारीख मुकर्रर करके दूसरे फरीक को इत्तिलाअ दीजावे ॥

दफा (६५) इस पिछली सूरतमें जो ज़रूरत हो तो मुकदमेकी काररवाई वैसी ही की जावेगी जैसी कि मामूली मुकदमे की ॥

अपील

दफा (६६) सिवाय किसी खास वजह के नीचे की अदालत का अपील ऊपर की अदालत में दायर होगा और बीच के हुक्मों का अपील न होगा ॥

दफा (६७) तहसीलदारी या कोतवाली के फैसले से अदालत दीवानी में और अदालत दीवानी से महकमे खास में जो अपील हो उसको मीआदफैसले को तारीख या इत्तिलाअ पाने की तारीख से दो महीने होगी जो दिन हुक्म की नकल लेने में गुज़रें वो मीआदमें नहीं गिनेजायेंगे ॥

दफा (६८) अपील की अर्जी में फ़जूल बातें नहीं लिखी जानी चाहियें— अदालत का नाम नम्बर और मुकदमे का अनवान फैसले की तारीख कि जिसका अपील हो

दफा (६४) जो ऊपर लिखी हुई वजूहातमें से कोई वजह नहो तो अःदालत को इस्तियार होगा कि फ़री-क़ैनकी बगौर बुलाने के दख्वास्त नामंजूर करदे और जो कोई काफी वजह हो तो तारीख मुकर्रर करके दूसरे फ़रीक को इत्तिलाअ़ दीजावे ॥

दफा (६५) इस पिछली सूरतमें जो ज़रूरत हो तो मुकद्दमेकी काररवाई वैसी ही की जावेगी जैसी कि मामूली मुकद्दमे की ॥

अपील

दफा (६६) सिवाय किसी खास वजह के नीचे की अःदालत का अपील ऊपर की अःदालत में दायर होगा और बीच के हुक्मों का अपील न होगा ॥

दफा (६७) तहसीलदारी या कोतवाली के फ़ैसले से अःदालत दीवानी में और अःदालत दीवानी से महब मे खास में जो अपील हो उसकी मीआदफ़ैसले को तारीख या इत्तिलाअ़ पाने की तारीख से दो महीने होगी जो दिन हुक्म की नकल लेने में गुज़रें वो मीआद में नहीं गिने जायंगे ॥

दफा (६८) अपील की अर्जी में फ़ूजूल बातें नहीं लिखी जानी चाहियें—अःदालत का नाम नम्बर और मुकद्दमे का अनवान फ़ैसले की तारीख कि जिसका अपील हो

दफा (६४) जो ऊपर लिखी हुई वज्रहातमें से कोई वजह नहीं तो अदालत को इस्तियार होगा कि फरी-क्रैन को बाहर बुलाने के दख्वास्त नामंजूर करदे और जो कोई काफी वजह हो तो तारीख मुकर्रर करके दूसरे फरीक को इत्तिलाअ दीजावे ॥

दफा (६५) इस पिछली सूरतमें जो ज़रूरत हो तो मुकदमेकी काररवाई वैसी ही की जावेगी जैसी कि मासूली मुकदमे की ॥

अपील

दफा (६६) सिवाय किसी खास वजह के नीचे की अदालत का अपील ऊपर की अदालत में दायर होगा और बीच के हुक्मों का अपील न होगा ॥

दफा (६७) तहसीलदारी या कोतवाली के फैसले से अदालत दीवानी से और अदालत दीवानी से महकमे खास में जो अपील हो उसकी मीआदफैसले को तारीख या इत्तिलाअ पाने की तारीख से दो महीने होगी जो दिन हुक्म की नकल लेने में गुज़रें वो मीआदमें नहीं गिनेजायेंगे ॥

दफा (६८) अपील की अर्जी में फूजूल बातें नहीं लिखी जानी चाहियें—अदालत का नाम नम्बर और मुकदमे का अनवान फैसले की तारीख कि जिसका अपील हो

ज्ञानेदीवानी ।

दफा (१०२) जो अदालत अपील अदालत मातहत के फैसले को रद करे या घटावे बढ़ावे तो अख्वार तजवीज़ लिखकर उसकी नक्ल अदालत मातहत को इत्तिलाअ के लिये भेज दे ॥

दफा (१०३) जो ज़रूरत हो तो अदालत अपील जियादहत हक्कीकात या किसी शक भरी हुई बात या नई तनक्की ह की तहक्कीकार के लिये मुकदमे को अदालत मातहत में पीछा भेज सकती है ॥

दफा (१०४) अदालत मातहत अपील के हुक्मों की तामील करने के बाद मिसल को वापिस भेज देगी और फरीकैन को फिर अदालत अपील में हाज़िर होने की हिदायत करेगी ॥

दफा (१०५) जो अदालत अपील में फरीकैन मुकदमा पंचों के सिपुर्द करने की दख्वास्त करें या अदालत अपील इस बात को मुनासिब समझे तो फरीकैन के मुकर्रर किये हुये पंचों के मुकदमा सिपुर्द किया जा सकता है —

दफा (१०६) अदालत अपील वो अदालत मातहत के खुर्चें की तजवीज़ अदालत अपील के हाथ में रहेगी —

मुतफ़्र्कात ॥

दफा (१०७) फरीकैन अपने आप या ऐसे वकील

फैसलहों सदरदीवानी अदालतमें और वो अदालत महकमेखासमें भेजाकरे जो कोई मुकद्दमा तीन महीने से जियादहुँ रखते जबीज़रहे तो जिस अदालतमें ऐसा मुकद्दमा जरूर तजवीज़ हो यद्युपरि समेंदेर होने का सब बलिख दिया करे ॥

दफ़ा (११३) जब किसी अदालत दीवानी से जाए और दारके माल की कुकुर्की की जावे तो उसमें अदालत मज़कूर को महकमेखास की मंजूरी लेनी चाहिये ॥

दफ़ा (११४) जब मुकद्दमेकी तहकीकात होतेवक्त कोई जाली कागज़ पेश हो या किसी फ़रीक़ या गवाहकी हलफ़ दरोगी अदालतमें सावित होतो अदालत को इस्तियार होगा कि जाली कागज़ पेश करने वाले या हलफ़ दरोगी करने वाले को अदालत फौजदारी के सिपुर्द करदे और इसकी इतिलाअ महकमेखासमें करे ॥

दफ़ा (११५) जो किसीके लड़का न हो और दूसरा रिश्तेदार उसका वारिस हो तो उस वारिस को महकमेखास से सार्टीफ़िकट विरासत हासिल करना होगा —

दफ़ा (११६) बगैर ऐसे सार्टीफ़िकट के कोई वारिस न राजेसकोई रूपया पास के गा न जिसका वारिस हो उस की जमीन और न उसके लेने देने का दावा अदालत दीवानी में कर सके गा — इति

(घ) अदालत सदरदीवानी—इसको यह इस्तिथार दिया गया है कि खास शाहपुरेके सारेमुकद्दमे दीवानी दसरुपयेसे ज़ियादेके और परगनेफूलियाकेसारे मुकद्दमे जो तहसीलदारों के इस्तिथारसे बाहिरके हैं तीन हज़ार तकके सुनाकरे और कोतवाली वो तहसील दारोंके फैसलेकी अपील भी यहही अदालत सुनेगी और चूंकि काढ़ोलाके सिवाय और सब ऊपर लिखी हुई अदालतें इसकी मातहत समझी जातीहैं उनकी सम्हाल इसके सिंपुर्दकी जातीहै और मुकद्दमोंकी कार्रवाईकेलिये जोहिदायत जारीहों वोभी इस अदालतकी मारकृत नीचेकी सब अदालतोंमें भेजीजायाकरे ॥

(च) महकमाखास—इस अदालतको इस्तिथार है कि परगने काढ़ोला के पांचसौरुपयेसे ज़ियादाके और परगनेफूलियाके तीनहज़ारसे ज़ियादाके सब मुकद्दमे दीवानी के सुनाकरे और काढ़ोलाकी कचहरीके फैसलोंकी जो अपीलहों वो सब—औरपरगने फूलियामें अदालत सदरदीवानीके फैसलेकी अपील यह अदालत सुने—और इस अदालतको यहभी इस्तिथार होगा कि अगर किसी गैर इलाकेवाले का कोई मुकद्दमा या कोई ऐसा मुकद्दमा जो अदालत सदर दीवानीके सुनने के

मीश्चादसे खारिज समझी जाती है परंतु डिगरीदार को यह इस्तियार होता है कि वह उस डिगरीकी बुनियाद पर नयादावाकर कर दूसरी डिगरी कराले इसमेंकर-सोंपर बहुत भारी बोझ पड़ता है क्योंकि डिगरीदारकी बेपरवाही के कारण उनको अदालत का खर्चा दूसरी दफ़े हेना पड़ता है इसलिये यह क्राघदा अब रद्द किया जाता है और जो डिगरी मीश्चाद से खारिज हो उसकी बुनियाद पर केवल उसी वक्त नयामुक्कहमा सुनाजायगा कि जब मुद्दई मद्यूनके इलाक़ेसे बाहर चलैजानेसे या किसी और ऐसे कारणसे जिसमें मुद्दईकी बेपरवाही न पाईजावे डिगरी जारी न करासके तो मुद्दई उस अङ्ग-लतकी परवानगीसे जिसने पहले डिगरीदी हो दूसरी दफ़ा नालिश करसकता है ॥

दफ़ा(४) दीवानीकी अदालतें अपने अपने इस्तियार के अंदर वो सब मुक्कहमे सुने वो फैसल करेंगी जिनकी बुनियाद किसी मुश्त्राहिदे या नुकसान हक्कपर हो परंतु जो मुक्कहमे भलसन्नसाहत के बिपरीत बातों की बाबत हों या जुर्येंकी तो नहीं सुने जांयगे जैसे जो कोई रंडी अपने आशनापर दावाकरे या किसी ऐसेमकानके भाड़ेका दावा किया जाय जो कसब करानेके लिये

मुद्दई और उसके मुख्तारकी जोकोईहो--होनी चाहिये और उसमें नीचेलिखीहुई बातेंभी लिखीजानीचाहियें ॥

(१) मुद्दई का नाम उसके बापकानाम और ज्ञात और रहनेकी जगह ॥

(२) मुदआअलेह की निस्वत भी जहांतक मुम्किन वो मालूमहों येहीबातें लिखीजानी चाहियें ॥

(३) नालिशका कारण और दावेको तादाद जैसे कितना रुपयाथा कितना वसूलहुआ और क्याब्याज लगाया इत्यादि ॥

(४) मक्कदमेका स्वुलासा हाल यानी नालिश की बुनियाद जो पैदाहुई हो और झगड़े की सूरत जो उस बत्तहो ॥

(५) जो दस्तावेज़े और हिसाब की नक्ल अरजी दावेकेसाथ पेशहों उनकीफर्दभी दाखिल होनीचाहिये ॥

दफा (६) अरजीदावेकी तस्दीक इसतरह पर होनी चाहिये मैं फ़लाना मुद्दई जिसका नाम ऊपर लिखाहै तस्दीककरताहूं किजो कुछ अरजी दावेमें लिखाहै वो जहांतक मैंजानता वो यक़ीन करताहूं बिल्कुलसचहै ॥

दफा (१०) अरजीदावेपर हुक्मलिखाने या कोई और कार्रवाई करनेसे पहले जो अदालतकी राय में मुद्दईका

नाम बापका नामज्ञात और रहनेकीजगह औरनालिश की बुनियाद और हाज़िरीका वक्तंभी साफलिखाजावे॥

दफा (१४) सम्मन या कैफियत या कागज जो अदालतसे जारीहो उसकी दो परत होनी चाहिये एक मुदआल्लेह या गवाह को दीजावे और दूसरीपर मुदआल्लेह या गवाहके जैसी कि सूरत हो इत्तिलापाईंके दस्तख़तकराकर मिसलमें शामिल होनी चाहिये सम्मन पर हाकिम के दस्तख़त और अदालत की मोहर रियासतके दस्तूरमुवाफ़िक होनीचाहिये ॥

दफा (१५) जो बनेतो सम्मन मुदआल्लेहके ही हाथ में दियाजावे जो मुदआल्लेह न मिले तो उसके घरके किसीमर्दको जो नाबालिग़न हो ॥

दफा (१६) जो अदालतको यह निश्चय हो जाय कि मुदआल्लेह रियासतमें मौजूद है परन्तु सम्मनके बचावके लिये छिप गया और ढूँढ़नेसे पतान हीं मिला तो एक इत्तिलाअ नामा ऐसीमीआदका जो पंद्रह दिन से कम नहो उसके घर पर चिपकादे और उसमें यह हुकमदेकि वो अदालत में हाज़िर हो और जो न होगा तो मुक़दमा एक तरफ़ी फ़ैसल कर दिया जायगा जो ऐसी ताक़ीद करने पर भी मुदआल्लेह कचहरीमें न आवे तो अदालतको समझलेना

स्वास्तर्दै जो दावा पचास रुपये तक का हो तो ऐसी ही स्वास्तर आठआने के इस्टामपर पंद्रह दिन के अंदर दाखिल होनी चाहिये और जो दावा पचास रुपये से ज़ियादा का हो तो एक रुपये के इस्टामपर और यह दाम मुद्दई को मुजरा नहीं दिलाये जायेंगे ॥

दफा (२०) जो मुद्दई हाजिर हो और मुदआचले ह नहीं आया हो तो मिसल का सबूत देखकर मुक़दमा एक तरफ़ी क्षैसल कर दिया जायगा परंतु अदालत इस बात को निष्पत्ति कर ले कि मुक़दमे के सुनने की तारीख की इतिलाओं में मद्दून के उजरात पर इजराय डिगरी में गौर हो सकता है ॥

दफा (२१) जो अदालत किसी कारण से मुनासिक समझे तो मुक़दमे के सुनने के लिये कोई दूसरा दिन मुकर्रर करके मुदआचले ह को इतिलाओं देसकती है परंतु मुद्दई को भी उस हुक्म की इतिलाओं देनी चाहिये ॥

दफा (२२) तारीख मुकर्रर ह पर जब करीकौन हाजिर हो जावे तो अरजी दावा मुदआचले ह को पढ़कर मुनाया जावे और उससे हलफन्त पूछा जाय कि उसको मुद्दई के दावे से इनकार है या इक्कबाल जो इक्कबाल हों तो ज़ियादह तहकीकात करने की ज़रूरत नहीं सिर्फ़ दो

इन्हकारी मुश्किल से साबित होता है और यह आम बात है कि जब कोई शख्स एकबात पेश करे और दूसरा उससे इनकार करे तो अव्वल शख्स पर कि जो फ़सला करना चाहे उस अघ्रका साबित करदेना लाजिम है ॥

दफा (२७) अम्बतन्त्रकीहतलब करारदेने में अदालतको एहतिथात रखना चाहिये कि कोई बहस जो मुकद्दमे के बरश्विलाफ़ हो न होनेपावै लेकिन ऐसा मौका ज़रूर देना चाहिये कि जिससे मुकद्दमे की असलियत व हक्कीकत दरियाप्त करने में मदद मिले ॥

दफा (२८) जो सबूत तहरीरी बिनायदावे से तअल्लुक रखता है वो मुकद्दमा दायर होतेही शामिल मिसल होजाना चाहिये फिर बगैर अदालत के हुबम के न लियाजावे और हरएक कागज पर जो मिसल में शामिल हो नस्वर और अनद्वान मुकद्दमा और नाम उस फ़रीक का जिसने पेश किया हो लिखना चाहिये और उसपर हाकिमके दस्तखत होने चाहियें ॥

दफा (२९) नीचे लिखीहुई दस्तावेज़े बिला खास हुबम महबमे खासके सम्मतमें न लीजावें याने उनकी बुनियाद पर दावा नहीं सुनाजावे ॥

(१) जिस दस्तावेज़ की रजिस्टरी लाजिमी है और

दरजे के सबबसे माफ़ किये गये हैं जो गवाह या मुहू-
आन्नलेह रियासत के नौकर हों वो अपने अफसर के
मारफ़त बुलाये जायगे ॥

दफ़ा (३३) जब फ़रीक्नैन के गवाहों के इज़हार
क़लमबंद होचुकें तो अदालत फ़रीक्नैन के पेशकिये हुये
तहरीरी वो तकरीरी सबूतका मुलाहिज़ा व और करने
के बाद सुकहमेकाफ़ैसला लिखकर फ़रीक्नैनको इतिलाअ
देदे और जो किर कोई बात दरियाप्रत तलब बाकीरह-
जावे तो उसके बास्ते दूसरी तारीख मुकर्रर करदे ॥

दफ़ा (३४) जो अदालत मुनासिब समझे तो फ़रीक्नैन
कीदरख्वास्त पर या बिला उनकी दरख्वास्त के नीचे
लिखी हुई बातोंकी कार्रवाई के लिये एक या ज़ियादह
आदमियों को कमीशन मुकर्रर करसकती है ॥

(१) ऐसे गवाहोंके इज़हार लेनेकेलिये जो हाजिर
नहीं होसके या जो हाजिरीसे मुआफ़ कियेगये हैं और
अदालत कमीशन को इज़हारलेने के निस्वत खास या
आमतौर पर हिदायत करसकती है ॥

(२) हिसाब देखने वो रिपोर्ट करने के लिये
चाहे उस में उनकीराय हस्ब माशाय अदालत लीजावे
या नहीं ॥

दफा (३७) जो फरीकैन आपसमें फैसलाकर के अदालतको इतिलानदें तो अदालतको इस्तियारहोगा कि जिस फरीकका कुसूरहो उसपर या दोनोंफरीकपर पांच रुपये तक जुर्माना करसकी है ॥

दफा (३८) जो फरीकैन चाहै कि मुक़द्दमा एक या ज़ियादह पंचों को फैसले के लिये सौप दिया जाय तो फरीकैन से एक शब्दस या हरएक फरीक से एक २ या दो २ पंचोंके नाम दरियापत करके उनसे इक्रारनामा इस मज्जमून का लिखा लिया जावे कि जो कुछ वो पंच फैसला करदें वो उनको मंजूर बो क़बूलहोगा ऐसा इक्रारनामामें लिखीहुई शर्तोंकेमुवाफ़िक पंचोंकेसिपुर्दकरदे ॥

दफा (३९) पंचोंका फैसलाअदालत काफैसला समझा जावेगा उसका अपील भी नहींहोगा औरफरीकैनको मंजूर करनापड़ेगा ॥

दफा(४०)पंचोंका फैसला अदालतमें दाखिलहोनेके पीछेदशदिनकीमोहलतफरीकैन को इसवास्ते दीजावेगी कि जो किसीफरीकको किसीपंचकीबेईमानीज्ञाहिरबोसाबितकरनीहो तो उसमोहलतमें करदेजबबोमीआदपूरीहो जावेकैफ़ियतपंचोंकीमंजूर करकेमुक़दमाफैसलकरदेना

दफ़ा (४५) हरएक गवाह का इज्जहार जुदा जुदा लिखा जावेगा और इज्जहारके ऊपर गवाह और उसके बापका नाम और जात और रहनेकी जगह पेशा और उमर-औरनाम मुद्र्दई या मुद्राअलेह जिसका वो गवाह हो दर्ज कियाजावेगा और हरएक मुद्र्दई मुद्राअलेह का अपने या दूसरे के गवाहसे सवाल करने की इजाजत देनी चाहिये परंतु अदालत को तजवीज करना होगा कि वो सवाल दुरुस्त हों—बेमौके या फ़साद पैदाकरनेवाले सवाल करने की इजाजत हरगिज्जनहीं दीजावेगी ॥

दफ़ा (४६) फ़ैसले पर दस्तखत हाकिम और तारीख होनी चाहिये और उस तजवीजमें नीचे लिखी हुई बातें दर्ज कीजावें ॥

१—मुकद्दमा का इबितदाईहाल २—जो बातें तन्त्रकीह तलब हों ३—तन्त्रकीह तलब का नतीजा मध्यखुलासे बयानकिसीखास गवाहके जिसकी ज़रूरत हो ४—तजवीज अदालत ॥

दफ़ा (४७) यह ज़रूर नहींहै कि हर एक गवाह के बयान का खुलासा फ़ैसले में लिखाजावे ॥

दफ़ा (४८) दस्तखत करने के पीछे हाकिम तज-

जो क्रिस्तबंदीकी तजवीज हुई हो तो तारीख क्रिस्तों की और तादाद हरएक क्रिस्तके रूपयों की दर्जहोनीचाहिये—और तादाद खरचे हरएक मुद्राई मुद्राओंलेह की भी दर्ज होनी चाहिये और यह भी तफ़सील लिखदेनी चाहिये कि वो खरचा किससे बसूल कियाजावेगा ॥

दफा (५१) हरएक सूरत में तजवीज खरचे की अदालतही करेगी ॥

दफा (५२) जो कोई मुद्राई और इलाके का रहने वाला हो तो मुक़दमा पेशहोने पर उससे ज़मानत खरचे मुद्राओंलेह की दाखिल कराना ज़रूरहै ॥

दफा (५३) मुद्राई मुद्राओंलेहको अखीर तजवीज से रुबरु इतिलाओंदेनी चाहिये—और जो ज़रूरत समझी जावे तो एक इतिलाओंनामा जिसमें ज़रूरी बातें दर्ज हों जारी कियाजावे उसपर दस्तख़त इतिलाओंपाई फ़रीक़ैन के करालिये जावें ॥

दफा (५४) जब मुक़दमा फ़ैसलहोजावे तो लिखी हुई दरख्बास्त किसी मुद्राई मुद्राओंलेह की पेश होने पर अदालत को नक़ल किसी काशज की जो मिसलमें शामिलहों या हुक्म अखीर की इस शर्त पर कि फ़ीस लिखाई जो मुक़र्ररहै दाखिल करदीजावे देनी होगी ॥

करदे-और जो मुद्राअलेह ज़मानत नदे तो जो जाय-
दाद मुद्राअलेह की मुद्र्ड बतलावे वो अखीर हुकम
होने तक कुर्क करदीजावे ॥

दफा (५७) जो ऐसे फैसले से प्रहलेकी कुर्की में
मुद्र्ड मुद्राअलेह की उगाही बतलावे तो ऊपर लिखे
मुवाफिक इतमीनान करनेके बाद अदालतको उन आ-
दमियों के नाम जिनके जिस्मे मुद्राअलेह का रूपया
बाकी होना ज़ाहिर किया जाय मनाई का हुकम इसम-
ज़मूनका जारी करना चाहिये कि जब तक फिरहुकमन
हो वो रूपया मुद्राअलेहको नदे ॥

दफा (५८) जो मुद्र्ड अदालतके सामने हलफनव-
यानकरे और गवाह इसबातके पेशकरे किमुद्राअलेह
भागना चाहता है तो अदालत मुद्राअलेहसे हाज़िर
ज़मानतमांगे और जो मुद्राअलेह न दे तो मुकदमा
फैसल होने तक मुद्राअलेह हवालात दीवानी में
रखा जावे ॥

दफा (५९) जो मुद्राअलेह इसतरह हवालात में
रखा जावेगा उसको खूराक मुद्र्डसे ली जावेगी और
मुकदमा फैसल होनेपर इसका बोझ उस फरीक पर
रहेगा जिसके जिस्मे खूरचा ढाला जावे ॥

डिगरीमेंसे और जो दावा खारिज होजावे तो मुद्र्द्वारा से जिस वक्त उसके पास कोई जायदाद मिले ॥

दफा (६४) जो मुक्कदमा मुद्र्द्वारा की अदसपैरवीके सबब से खारिज होजावे तो मुक्कदमेका खरचा मुद्र्द्वारा से जिस वक्त उसकी हैसियत हो या उसकी कोई जायदाद हाथ आजाय वसूल करना चाहिये और जो आपसमें फ़ैसला होजाने के सबब से मुक्कदमा नम्बररजिस्टर से कम कियाजावे तो फ़ीस मुकर्रा फ़ौरन् मुद्र्द्वारा से वसूल करना चाहिये इजराय डिगरी—

दफा (६५) इजराय डिगरीकी दरख्वास्तउसअदालत में पेशहोगी जहांसे डिगरी दीगई हो दरख्वास्तके साथ डिगरी की नक्ल भी पेश करनी चाहिये और उस दरख्वास्तमें दरख्वास्त देनेवालेको हक़रसीकी सूरत साफ़रलिखेनी होगी याने जो जायदाद वोकुर्क करना चाहता है उसकी मुफ़सिसल फ़ेहरिस्त दाखिलकरे ॥

दफा (६६) ऐसी दरख्वास्त अपीलकी मोआद गुज़रने परपेशहोनी चाहिये परन्तु जोफ़ैसलेसे पहिले की कुर्कीके मुवाफ़िक डिगरीदार दरख्वास्त पेशकरे तो अदालत मदयूनसे जमानत मांग सकती है और जो मदयून जमानत दाखिल न करेतो कुर्की जायदाद मनकूला

(१) खेतीके औजार-यादूसरे औजार जिनसे मदयून कमा कर खाताहै—

(२) मधेशी याने हल्के बैल ॥

(३) हासिल और बीजकानाज और जो अदालत मुनासिब समझे कि हळ्कीकृत में करसे के पास खानेकोन था और दूसरे आदमीने उसको दिया तो जितना मुनासिब समझे खादका भी गल्ला कुरक्की से छुड़ादे ॥

(४) नौकरकी आधी तनख्वाह ॥

(५) पिन्सन ॥

(६) तनख्वाह सियाही वो सवार ॥

(७) मकान जिसमें करसारहताहो ॥

(८) झात ॥

दफ्ता(७१) चूंकि शादीके बक्त हतक्कके सिवाय मज्ज-हबी रसममेंभी फूटूर पड़ताहै इसलिये ऐसे मौके पर फैसलेसे पहिलेकी कुरक्की या इजराय डिगरीमें कुरक्की न होसकेगी ॥

दफ्ता(७२) जो डिगरी रहनकीहुई जायदाद परहोतो डिगरी दारको जायदादपर कङ्बज्जा दिला दिया जावेगा और जो रहननामेमें नकङ्दरूपया वसूलहोनेकीशर्तलिखी हुईहो तो जायदाद नीलाम होकर हक्करसीकराईजायगी

दफा (७६) कुलजायदाद मैरमन्कूलाकी कीमतका तरुमीनातथ्यारकियाजावेगा और जो तरुमीनेकेमुवाफ़ि-क़ कीमत नीलाम में न लगे तो जायदाद दुबारा नीलाम कीजावे और जो फिरभी ज़रूरत हो तो तीसरी दफे उस वक्त जो आदमी ज़्यादह कीमत लगावे उसके नाम पर बोली खतम कीजावेगी परन्तु यह नीलाम जब तक अदालत मंजूर न करे कामिल न समझा जावेगा ॥

दफा (७७) जिसकी आखीर बोली हो उससेनीलाम की चौथान उसी वक्त भरालीजावे और फिर नीलाम की मंजूरी के लिये एक महीने की मिश्नाद दीजायगी जो इस मिश्नाद में मदयून डिगरी का रूपया अदा करदे तो नीलाम रद कर दिया जावेगा मगर नीलाम करने वाले का कमीशन जो इकन्ही रूपये के हिसाब से लिया जाता है मदयून को देनापड़ेगा और खरीदार नीलाम ने जो चौथान भरीथी वो वापिस दीजायगी ॥

दफा (७८) इस मिश्नाद के गुज़रने के बाद खरीदार नीलाम को सार्टफ़िकेट नीलाम अदालत से दिया जावेगा और जायदाद पर उसका क़ब्ज़ा करादिया जायगा और उसके पीछे मदयून वो हूसरे उज्जरदार का

तादाद डिगरी

जो डिगरी ५०) से ज्यादहनहो

जो डिगरी १००) से ज्यादहनहो

जो डिगरी २००) से ज्यादहनहो

दूसरे मुक्कहमों में

तादाद हवालात

एक महीना

तीनमहीने

चारमहीने

छः महीने

जिसकक्त डिगरीदार हवालातकी दरख्वास्त पेश करे उसको दरख्वास्त के साथ अदालत में ऐसी शरह से जिसकी तादाद ॥ आने रोज़से ज्यादह न हो अदालतकी तजवीज़ के मुवाफ़िक एक महीने की खूराक के दाम भरने होंगे और एकमहीना पूरा होनेसे पहिले जो डिगरी ५०) से ज्यादह की हो तो मुद्रईको खूराक के दाम फिर भरदेने चाहिये नहीं तो मिअद पूरीहोने पर मदयून छोड़दिया जावेगा ॥

दफ़ा (८३) जब वारंटके साथमदयून जेलखानेमें भेजाजावे तो उसमें कैदकी मिअद लिखदेनी चाहिये और मदयूनसे जेलखानेनेमें कोई मेहनतका कामनहीं लिया जावेगा ॥

दफ़ा (८४) मदयून उसीडिगरी के बास्ते दुबारा हवालातमें नहीं भेजाजायगा लेकिन मदयून का हवालातमें जाना डिगरीदार की हक्करसी की मालकी

दफा (८६) खरचा इजराय डिगरी और खराक जो मदयून हवालातमें भेजाजाय मदयूनके जिस्मे डाला जायगा ॥

उज्जरदारीकुरक्की

दफा (६०) उज्जरदारी कुरक्कीकी अर्जी आठ आने के इस्टाम्प पर पेश होगी और उसमें साफ़ लिखना चाहिये कि किस हक्क के सबब से दरख्बास्त पेश की जाती है जो अदालत को दरख्बास्त बे बुनियाद मालूम नहो तो एक दिन उस के सुनने के लिये मुकर्रर करेगी और जो तारीख मुकर्रर करे उसकी इतिलङ्घ डिगरीदार मदयून और उज्जरदार को दीजावेगी और उसकी तहक्कीकात ऐसे ही की जावेगी जैसे मामूली नालिश की इसमें उज्जरदार मुद्दई और फरीकै न मुद्दआ अलेह गरदाने जावेंगे जो यह साबित हो जावे कि कुर्क किया हुआ माल या जायदाद मदयून की नहीं है तो कुर्क उठादी जावेगी ॥

दफा (६१) जो यह साबित हो जावे कि माल या जायदाद उज्जरदार के पास गहने है तो उज्जरदार मुरतहन को नीलाम के रूप ये में से पहले गहना भर का रूप या दिलाया जावेगा ॥

दफा (६२) उज्जरदारी साबित हो जावे तो उज्जरदारी

दफा (६४) जो ऊपर लिखी हुई वजूहातमें से कोई वजह नहो तो अदालत को इस्तियार होगा कि फरी-क्लैन को बाहर बुलाने के दख्खास्त नामंजूर करदे और जो कोई काफी वजह हो तो तारीख मुकर्रर करके दूसरे फरीक को इतिलाज्ज दीजावे ॥

दफा (६५) इस पिछली सूरतमें जो ज़रूरत हो तो मुकद्दमेकी कार्रवाई वैसी ही की जावेगी जैसी कि मासूली मुकद्दमे की ॥

अपील

दफा (६६) सिवाय किसी खास वजह के नीचे की अदालत का अपील ऊपर की अदालत में दायर होगा और बीच के हुक्मों का अपील न होगा ॥

दफा (६७) तहसीलदारी या कोतवाली के फैसले से अदालत दीवानी में और अदालत दीवानी से महकमे खास में जो अपील हो उसको मीआदफैसले को तारीख या इतिलाज्ज पाने की तारीख से दो महीने होगी जो दिन हुक्म की नकल लेने में गुज़रें वो मीआद में नहीं गिनेजायेंगे ॥

दफा (६८) अपील की अर्जी में फौजल बातें नहीं लिखी जानी चाहियें— अदालत का नाम नम्बर और मुकद्दमे का अनवान फैसले की तारीख कि जिसका अपील हो

दफा (१०२) जो अदालत अपील अदालत मातहत के फैसले को रद करे या घटावे बढ़ावे तो अखीर तजवीज़ लिखकर उसकी नक्ल अदालत मातहत की इतिलाओं के लिये भेज दे ॥

दफा (१०३) जो ज़रूरत हो तो अदालत अपील जियादहत हक्कीकात या किसी शकभरी हुई बात या नई तनक्की ह की तहक्कीकात के लिये मुकदमे को अदालत मातहत में पीछा भेज सकती है ॥

दफा (१०४) अदालत मातहत अदालत अपील के हुक्मों की तामील करने के बाद मिसल को वापिस भेज देगी और फरीकैन को फिर अदालत अपील में हाज़िर होने की हिदायत करेगी ॥

दफा (१०५) जो अदालत अपील में फरीकैन मुकदमा पंचों के सिपुर्द करने की दख्खास्त करें या अदालत अपील इस बात को मुनासिब समझे तो फरीकैन के मुकर्रर किये हुये पंचों के मुकदमा सिपुर्द किया जासकता है —

दफा (१०६) अदालत अपील वो अदालत मातहत के खुर्चें की तजवीज़ अदालत अपील के हाथ में रहेगी —
मुतफर्रत ॥

दफा (१०७) फरीकैन अपने आप या ऐसे वकील

फैसलहों सदरदीवानी अःदालतमें और वोअःदालतमह-
बम्प्रेखासमें भेजाकरे जो कोई मुकदमा तीन महीने से
ज़ियाद ह ज़रूरतजवीज़रहे तो जिसअःदालतमेंऐसा मुकद-
माज़ेरतजवीज़हो वोउसमेंदेरहोनेकासबबलिखदियाकरे॥
दफ़ा (११३) जब किसी अःदालत दीवानीसे जा-
गीरदारके मालकी कुर्की कीजावे तो उसमें अःदालत
मज़कूरको महकमे खासकी मंजूरी लेनी चाहिये ॥

दफ़ा (११४) जब मुकदमेकी तहकीकात होतेवक्त
कोईजाली काग़ज पेशहो या किसी फ़रीक या गवाहकी
हलफ़ दरोगी अःदालतमेंसाबितहोतो अःदालतको इस्त-
यारहोगा कि जाली काग़ज पेश करनेवाले या हलफ़
दरोगी करनेवालेको अःदालत फौजदारीके सिपुर्द करदे
और इसकी इत्तिलाअः महकमेखासमें करे ॥

दफ़ा (११५) जोकिसीके लड़का न हो और दूसरा
रिश्तेदार उसका वारिसहो तो उस वारिसको महकमे
खाससे सार्टफ़िकट विरासत हासिल करनाहोगा—

दफ़ा (११६) बाहर ऐसे सार्टफ़िकटके कोई वारिस
नराजसेकोई रूपया पासकेगा न जिसका वारिसहो उस
को ज़मीन और न उसकेलेन देनका दावा अःदालत दी-
वानीमें करसकेगा— इति

(घ) अदालत सदरदीवानी—इसको यह इस्तियार दिया गया है कि खास शाहपुरे के सारे मुकदमे दीवानी दसरुपये से ज़ियादेके और परगने फूलियाके सारे मुकदमे जो तहसीलदारों के इस्तियार से बाहरके हैं तीन हज़ार तकके सुनाकरे और कोतवाली वो तहसील दारोंके फैसलेकी अपील भी यहही अदालत सुनेगी—और चूंकि काढ़ोलाके सिवाय और सब ऊपर लिखी हुई अदालतें इसकी मात्रहत समझी जातीहैं उनकी सम्हाल इसके सिपुर्दकी जातीहै और मुकदमोंकी कार्रवाईके लिये जो हिदायत जारीहों वोभी इस अदालतकी मारफ़त नीचेकी सब अदालतोंमें भेजीजायाकरें ॥

(च) महब्बमाखास—इस अदालतको इस्तियार है कि परगने काढ़ोला के पांचसौ रुपये से ज़ियादाके और परगने फूलियाके तीन हज़ार से ज़ियादाके सब मुकदमे दीवानी के सुनाकरे और काढ़ोला की कचहरीके फैसलोंकी जो अपीलहों वो सब—और परगने फूलियामें अदालत सदरदीवानीके फैसलेकी अपील यह अदालत सुने—और इस अदालतको यहभी इस्तियार होगा कि अगर किसी गैर इलाकेवाले का कोई मुकदमा या कोई ऐसा मुकदमा जो अदालत सदर दीवानीके सुनने के

मीआदसे खारिज समझी जातीहै परंतु डिगरीदार को यह इस्तियार होता है कि वह उस डिगरीकी बुनियाद पर नयादावाकर कर दूसरी डिगरी कराले इसमेंकर-सोंपर बहुत भारी बोझ पड़ता है क्योंकि डिगरीदारकी बेपरवाही के कारण उनको अदालत का खर्चा दूसरी दफ्ते हेना पड़ता है इसलिये यह क्रायदा अब रद्दकिया जाता है और जो डिगरी मीआद से खारिजहो उसकी बुनियादपर केवल उसी वक्त नयामुक्तदमा सुनाजायगा कि जब मुद्दई मद्यूनके इलाकेसे बाहर चलेजानेसे या किसी और ऐसे कारणसे जिसमें मुद्दईकी बेपरवाही न पाईजावे डिगरी जारी न करासकेतो मुद्दई उस अदा-लतकी परवानगीसे जिसने पहले डिगरीदी हो दूसरी दफ़ा नालिश करसकता है ॥

दफ़ा(४) दीवानीकी अदालतें अपने अपने इस्ति-यार के अंदर वो सब मुक्तदमे सुने वो फैसल करेंगी जिनकी बुनियाद किसीमुआहिदे या नुक्सान हक्कपरहो परंतु जो मुक्तदमे भलसन्त्रसाहत के बिपरीत बातों की बाबत हों या जुयेंकी तो नहीं सुनेजांयगे जैसे जो कोई रंडी अपने आशनापर दावाकरे या किसी ऐसेमकानके भाड़ेका दावा किया जाय जो कसब करानेके लिये

मुहूर्दे और उसके मुख्यतारकी जो कोई हो—होनी चाहिये और उसमें नीचेलिखी हुई बातें भी लिखी जानी चाहियें ॥

(१) मुहूर्दे का नाम उसके बापकानाम और ज्ञात और रहनेकी जगह ॥

(२) मुहूर्दा अलेह की निस्वत भी जहांतक मुझ-किन वो मालूम हों ये ही बातें लिखी जानी चाहियें ॥

(३) नालिश का कारण और दावेको तादाद जैसे कितना रुपयाथा कितना वसूल हुआ और क्याब्याज लगाया इत्यादि ॥

(४) मङ्गद्वयमेका खुलासा हाल यानी नालिश की बुनियाद जो पैदा हुई हो और झगड़े की सूरत जो उस बक्त हो ॥

(५) जो दस्तावेज़े और हिसाब की नक्ल अरजी दावेके साथ पेश हों उनकी फ़र्द भी दाखिल होनी चाहिये ॥

दफ़ा (६) अरजी दावेकी तस्दीक इस तरह पर होनी चाहिये मैं फ़लाना मुहूर्दे जिसका नाम ऊपर लिखा है तस्दीक करता हूं किजो कुछ अरजी दावेमें लिखा है वो जहांतक मैं जानता वो यकीन करता हूं बिलकुल सच है ॥

दफ़ा (१०) अरजी दावे पर हुक्म लिखाने या कोई और कार्रवाई करने से पहले जो अदालतकी राय में मुहूर्दे का

नाम बापका नामज्ञात और रहनेकीजगह औरनालिश की बुनियाद और हाज़िरीका वक्तःभी साफ़लिखाजावे॥

दफ़ा (१४) सम्मन या कैफ़ियत या काग़ज़ जो अदालतसे जारीहो उसकी दो परत होनी चाहियें एक मुद्राअल्लेह या गवाह को दीजावे और दूसरीपर मुद्र-आअल्लेह या गवाहके जैसी कि सूरत हो इत्तिलापाईके दस्तख़तकराकर मिसलमें शामिल होनी चाहियेसम्मन पर हाकिम के दस्तख़त और अदालत की मोहर रियासतके दस्तूरमुवाफ़िक होनीचाहियें ॥

दफ़ा (१५)जो बनेतोसम्मन मुद्राअल्लेहकेही हाथ में दियाजावे जो मुद्राअल्लेह न मिले तो उसके घरके किसीमर्दको जो नाबालिग़नहो ॥

दफ़ा (१६)जो अदालतको यह निश्चयहोजाय किमुद्र-आअल्लेहरियासतमेंमौजूदहै परन्तुसम्मनकेबचावकेलिये क्षिपगया और ढूँढ़नेसे पतानहीं मिला तोएक इत्तिलाअनामा ऐसीमीआदका जो पंद्रह दिनसे कम नहो उसके घरपर चिपकादे और उसमें यहहुक्मदेकि वो अदालत में हाज़िर हो और जो न होगा तो मुक़दमा एकतरफ़ीफ़ैसल करदिया जायगा जो ऐसी ताक़ीद करने परभी मुद्राअल्लेह कचहरीमें नआवे तोअदालतकोसमझलेना

स्वास्तदे जो दावा पचासरुपयेतक का हो तो ऐसीदं-
रस्वास्त आठआनेके इस्टामपर पंद्रह दिनके अंदरदा-
खिलहोनीचाहिये और जो दावापचास रुपयेसे जियादा
काहो तो एकरुपयेकेइस्टामपर और यहदाम मुद्दई को
मुजरा नहीं दिलाये जायेंगे ॥

दफ्ता (२०) जो मुद्दई हाजिरहो और मुद्दआश्रलेह नहीं
आयाहो तो मिसलकासबूत देखकर मुक्कदमा एकेतरफ़ी
फ़ैसल करदिया जायगा परंतु अदालत इसबातको नि-
श्चय करले कि मुक्कदमे के सुननेकी तारीखकी इतिलाअ
मुद्दआश्रलेहको होगई अगर ज़रूरत होतो ऐसी डिगरी
में मद्यूनके उजरातपर इजरायडिगरीमें गौरहो सकता है ॥

दफ्ता (२१) जो अदालत किसी कारणसे मुनासि-
ब समझे तो मुक्कदमे के सुननेके लिये कोई दूसरादिन
मुकर्रर करके मुद्दआश्रलेह को इतिलाअदेसकती है परंतु
मुद्दईको भी उसहुक्म की इतिलाअ देनी चाहिये ॥

दफ्ता (२२) तारीख मुकर्ररह पर जब फरीकैन हा-
जिर हो जावें तो अरजीदावा मुद्दआश्रलेह को पढ़कर
सुनायाजावे और उससे हलफन् पूँछाजाय कि उसको
मुद्दईके दावेसे इनकार है या इक्कबाल जो इक्कबाल हों
तो जियादह तहकीकात करनेकी ज़रूरत नहीं सिफ्दो

इनकारी मुश्किल से साबित होता है और यह आम बात है कि जब कोई शख्स एक बात पेश करे और दूसरा उससे इनकार करे तो अबल शख्स पर कि जो फ़ैसला करना चाहे उस अच्छका साबित कर देना लाजिम है ॥

दफ़ा (२७) अन्नतन्त्रकीहतलब करारदेने में अदालत को एहतियात रखना चाहिये कि कोई बहस जो मुक़दमे के बरखिलाफ़ हो न होनेपावै लेकिन ऐसा मौक़ा ज़रूर देना चाहिये कि जिससे मुक़दमे की असलियत व हक्कीकत दरियाप्त करने में मदद मिले ॥

दफ़ा (२८) जो सबूत तहरीरी बिनायदावे से त़ग्ललुक रखता है वो मुक़दमा दायर होतेही शामिल मिसल होजाना चाहिये फिर बगौर अदालत के हुक्म के न लियाजावे और हरएक कागज पर जो मिसल में शामिल हो नम्बर और अनवान मुक़दमा और नाम उस फ़रीक़ का जिसने पेश किया हो लिखना चाहिये और उसपर हाकिमके दस्तखत होने चाहियें ॥

दफ़ा (२९) नीचे लिखी हुई दस्तावेज़ें बिला खास हुक्म महक्मे खास के सम्मत में न लीजावे याने उनकी बुनियाद पर दावा नहीं सुनाजावे ॥

(१) जिस दस्तावेज़ की रजिस्टरी लाजिमी है और

दरजे के सबसे माफ़ किये गये हैं जो गवाह या मुद्दा-
आग्रलेह रियासत के नौकर हों वो अपने अफसर के
मारफ़त बुलाये जांयगे ॥

दफ़ा (३३) जब फ़रीक़ैन के गवाहों के इज़हार
क़लमबंद होचुके तो आदालत फ़रीक़ैन के पेश किये हुये
तहरीरी वो तकरीरी सबूतका मुलाहिजा व गौर करने
के बाद मुक़द्दमेकाफ़ैसला लिखकर फ़रीक़ैन को इतिलाअ
देदे और जो फ़िर कोई बात दरियाप्रत तलब बाक़ीरह-
जावे तो उसके बास्ते दूसरी तारीख मुकर्रर करदे ॥

दफ़ा (३४) जो आदालत मुनासिब समझे तो फ़रीक़ैन
की दरख्वास्त पर या बिला उनकी दरख्वास्त के नीचे
लिखी हुई बातोंकी कार्रवाई के लिये एक या ज़ियादह
आदमियों को कमीशन मुकर्रर करसक्ती है ॥

(१) ऐसे गवाहोंके इज़हार लेनेकेलिये जो हाज़िर
नहीं होसके या जो हाज़िरीसे मुझ्माफ़ कियेगये हैं और
आदालत कमीशन को इज़हार लेने के निष्पत खास या
आमतौर पर हिदायत करसक्ती है ॥

(२) हिसाब देखने वो रिपोर्ट करने के लिये
चाहे उस में उनकी राय हस्त मण्डाय आदालत लोजावे
या नहीं ॥

दफा (३७) जो फरीक्कैन आपसमें फैसलाकर के अदालतको इतिलानदें तो अदालतको इर्खियारहोगा कि जिस फरीक्कका कुसूरहो उसपर या दोनोंफरीक्कपर पांच रुपये तक जुर्माना करसको है ॥

दफा (३८) जो फरीक्कैन चाहै कि मुकद्दमा एक या जियादह पंचों को फैसले के लिये सौंप दिया जाय तो फरीक्कैन से एक शब्दस या हरएक फरीक से एक २ या दो २ पंचोंके नाम दरियाप्त करके उनसे इक्रारनामा इस मज़मून का लिखा लिया जावे कि जो कुछ वो पंच फैसला करदें वो उनको मंजूरवो क़बूलहोगा ऐसा इक्रारनामा दाखिल होनेपर अदालत मुकद्दमे को इक्रारनामेमें लिखीहुई शर्तोंकेमुवाफ़िक पंचोंकेसिपुर्दकरदे ॥

दफा (३९) पंचोंका फैसलाअदालत का फैसला समझा जावेगा उसका अपील भी नहींहोगा औरफरीक्कैनको मंजूर करनापड़ेगा ॥

दफा(४०)पंचोंका फैसला अदालतमें दाखिलहोनेके पीछेदेशदिनकीमोहलतफरीक्कैन को इसवास्ते दीजावेगी कि जो किसीफरीक्कको किसीपंचकीबेईमानीज्ञाहिरवोसावितकरनीहोतो उसमोहलतमें करदेजबवोमीआदपूरीहोजावेकैफ़ियतपंचोंकीमंजूर करकेमुकद्दमाफैसलकरदेना

दफा (४५) हरएक गवाह का इज़हार जुदा जुदा लिखा जावेगा और इज़हारके ऊपर गवाह और उसके बापका नाम और जात और रहनेकी जगह पेशा और उमर-ओरनाम मुद्रई या मुद्रआँलेह जिसका वो गवाह हो दर्ज कियाजावेगा और हरएक मुद्रई मुद्रआँलेह का अपने या दूसरे के गवाहसे सवाल करने की इजाज़त देनी चाहिये परंतु अदालत को तजवीज करना होगा कि वो सवाल दुरुस्त हों—बेमौके या फ़साद पैदाकरनेवाले सवाल करने की इजाज़त हरगिज़नहीं दीजावेगी ॥

दफा (४६) फ़ैसले पर दस्तखत हाकिम और तारीख होनी चाहिये और उस तजवीज़में नीचे लिखी हुई बातें दर्ज कीजावें ॥

१—मुक़द्दमा का इव्वितदाइँहाल २-जो बातें तन्की-ह तलब हों ३—तन्कीह तलब का नतीजा मध्यखुलासे बयानकिसीखास गवाहके जिसकी ज़रूरत हो ४-तजवीज़ अदालत ॥

दफा (४७) यह ज़रूर नहींहै कि हर एक गवाह के बयान का खुलासा फ़ैसले में लिखाजावे ॥

दफा (४८) दस्तखत करने के पीछे हाकिम तज-

जो क्रिस्तवंदीकी तजवीज हुई हो तो तारीख क्रिस्तों की और तादाद हरएक क्रिस्तके रूपयों की दर्जहोनीचाहिये—और तादाद खरचे हरएक मुद्दई मुदआँलेह की भी दर्ज होनी चाहिये और यह भी तफ़सील लिखदेनी चाहिये कि वो खरचा किससे बसूल कियाजावेगा ॥

दफ़ा (५१) हरएक सूरत में तजवीज खरचे की अदालतही करेगी ॥

दफ़ा (५२) जो कोई मुद्दई गैर इलाके का रहने वाला हो तो मुक्दमा पेशहोने पर उससे ज़मानत खरचे मुदआँलेह की दाखिल कराना ज़रूरहै ॥

दफ़ा (५३) मुद्दई मुदआँलेहको अख्वीर तजवीज से रूबरू इतिलाअदेनी चाहिये—और जो ज़रूरत समझी जावे तो एक इतिलाअनामा जिसमें ज़रूरी बातें दर्ज हों जारी कियाजावे उसपर दस्तखत इतिलाअपाई फ़रीकैन के करालिये जावें ॥

दफ़ा (५४) जब मुक्दमा फ़ैसलहोजावे तो लिखी हुई दरख्वास्त किसी मुद्दई मुदआँलेह की पेश होने पर अदालत को नक़ल किसी काशज़ की जो मिसलमें शामिलहों या हुक्म अख्वीर की इस शर्त पर कि फ़ीस लिखाई जो मुकर्ररहे दाखिल करदीजावे देनी होगी ॥

करदे-और जो मुहङ्गाअलेह ज़मानत नदे तो जो जाय-
दाद मुहङ्गाअलेह की मुहर्द्वि बतलावे वो आखीर हुक्म
होने तक कँक्कि करदीजावे ॥

दफा (५७) जो ऐसे फैसले से पहले की क्रुर्द्धि में
मुद्दर्द्धि मुद्दआङ्गलेह की उगाही बतलावे तो ऊपर लिखे
मुवाफिक इतमीनान करनेके बाद आदालतको उन आ-
दमियों के नाम जिनके जिम्मे मुद्दआङ्गलेह का रूपया
बाकी होना ज़ाहिर किया जाय मनाई का हुवम इसम-
ज़मूनका जारी करना चाहिये कि जब तक फिर हुवमन
हो वो रूपया मुद्दआङ्गलेहको न दे ॥

दफ्ता (५८) जो मुद्रई अदालतके सामने हलफ़न्नब-
यानकरे और गवाह इसबातके पेशकरे किमुदआअलेह
भागना चाहता है तो अदालत मुदआअलेहसे हाज़िर
ज़मानतमांगे और जो मुदआअलेह न दे तो मुकद्दमा
फ़ैसल होने तक मुदआअलेह हवालात दीवानी में
रखखा जावे ॥

दफा (५६) जो मुहङ्गाअलेह इसतरह हवालात में
रखखाजावेगा उसको खूराक मुहर्द्दसे ली जावेगी और
मुकदमा फैसल होनेपर इसका बोझ उस फरीक पर
रहैगा जिसके जिम्मे खरचा डाला जावे ॥

डिगरीमेंसे और जो दावा खारिज होजावे तो मुद्दई से जिस वक्त उसके पास कोई जायदाद मिले ॥

दफ्ता (६४) जो मुक्कहमामुद्दईकी अदमपैरवीकेसबब से खारिज होजावे तो मुक्कहमेका खरचा मुद्दईसे जिस-वक्त उसको हैसियत हो या उसको कोई जायदाद हाथ आजाय वसूल करना चाहिये और जो आपसमें फ़ैसला होजाने के सबबसे मुक्कहमा नस्वररजिस्टर से कम कियाजावे तो फ़ीस मुक्कर्रा फ़ौरन् मुद्दईसे वसूल करना चाहिये इजराय डिगरी—

दफ्ता (६५) इजराय डिगरीकी दरख्वास्तउसअदालत में पेशहोगी जहांसे डिगरी दीगई हो दरख्वास्तकेसाथ डिगरी को नक़ल भी पेश करनी चाहिये और उस दरख्वास्तमें दरख्वास्त देनेवालैफ़ो हक़रसीकी सूरत साफ़रलिखनी होगी याने जो जायदाद वोकुर्क करना चाहताहै उसकी मुफ़सिल फ़ेहरिस्त दाखिलकरे ॥

दफ्ता (६६) ऐसी दरख्वास्त अपीलकी मोआद गुज्जरने परपेशहोनी चाहिये परन्तु जोफ़ैसलेसे पहिले की कुर्कीके मुवाफ़िक डिगरीदार दरख्वास्त पेशकरे तो अदालत मदयूनसे जमानत मांग सकतीहै और जीमद-यूनज्मानत दाखिल न करेतो कुर्कीजायदाद मनकूला

(१) खेतीके औजार-यादूसरे औजार जिनसे मदयून कमा कर खाता है—

(२) मवेशी याने हल्के बैल ॥

(३) हासिल और बीजकानाज और जो अदालत मुनासिब समझे कि हक्कीक़त में करसे के पास खानेकोन था और दूसरे आदमीने उसको दिया तो जितना मुनासिब समझे खादका भी गल्ला कुरक्की से कुड़ादे ॥

(४) नौकरकी आधी तनख्वाह ॥

(५) पिन्सन ॥

(६) तनख्वाह सिपाही वो सवार ॥

(७) मकान जिसमें करसारहताहो ॥

(८) खात ॥

दफा (७१) चंकि शादीके बक्त हतक्कके सिवाय मज्ज-हवी रसममें भी फूटूर प्रढ़ता है इसलिये ऐसे मौके पर फैसलेसे पहिलेकी कुरक्की या इजराय डिगरीमें कुरक्की न हो सकेगी ॥

दफा (७२) जो डिगरी रहनकी हुई जायदाद पर होतो डिगरी दारको जायदादपर कब्जा दिला दिया जावेगा और जो रहननामेमें नक्कदरुपया बसूल होनेकी शर्त लिखी हुई हो तो जायदाद नीलाम होकर हक्करसीकराई जायगी

दफा (७६) कुलजायदाद और मन्कूलाकी कीमतका तख्मीनातय्यार किया जावेगा और जो तख्मीने के मुवाफ़िक कीमत नीलाम में न लगे तो जायदाद दुबारा नीलाम की जावे और जो फिर भी ज़रूरत हो तो तीसरी दफ़े उस वक्त जो आदमी ज़्यादह कीमत लगावे उसके नाम पर बोली ख़तम की जावेगी परन्तु यह नीलाम जब तक अदालत मंजूर न करे कामिल न समझा जावेगा ॥

दफा (७७) जिसकी आख्वीर बोली हो उस सेनीलाम की चौथान उसी वक्त भराली जावे और फिर नीलाम की मंजूरी के लिये एक महीने की मिअद दीजायगी जो इस मिअद में मदयून डिगरी का रूपया अदा करदे तो नीलाम रद कर दिया जावेगा मगर नीलाम करने वाले का कमीशन जो इकन्नी रूपये के हिसाब से लिया जाता है मदयून को देनापड़ेगा और ख़रीदार नीलाम ने जो चौथान भरी थी वो वापिस दीजायगी ॥

दफा (७८) इस मिअद के गुज़रने के बाद ख़रीदार नीलाम को सार्टीफ़िकट नीलाम अदालत से दिया जावेगा और जायदाद पर उसका क़ब्ज़ा करादिया जायगा और उसके पीछे मदयून वो दूसरे उज़रदार का

तादाद डिगरी

जो डिगरी ५०) से ज्यादहनहो

जो डिगरी १००) से ज्यादहनहो

जो डिगरी २००) से ज्यादहनहो

दूसरे मुक्कदमों में

तादाद हवालात

एक महीना

तीनमहीने

चारमहीने

छः महीने

जिसवक्तु डिगरीदार हवालातकी दरख्वास्त पेश करे उसको दरख्वास्त के साथ अदालत में ऐसी शरह से जिसकी तादाद ३ आने रोज़से ज्यादह न हो अदालतकी तजवीज़ के मुवाफ़िक एक महीने की खूराक के दाम भरने होंगे और एकमहीना पूरा होनेसे पहिले जो डिगरी ५०) से ज्यादह की हो तो मुद्दईको खूराक के दाम फिर भरदेने चाहिये नहीं तो मिश्राद पूरीहोने पर मदयून छोड़दिया जावेगा ॥

दफ़ा (८३) जब बारंटके साथमदयून जेलखानेमें भेजाजावे तो उसमें कँदकी मिश्राद लिखदेनी चाहिये और मदयूनसे जेलखानेनेमें कोई मेहनतका कामनहीं लिया जावेगा ॥

दफ़ा (८४) मदयून उसीडिगरी के बास्ते दुबारा हवालातमें नहीं भेजाजायगा लेकिन मदयून का हवालातमें जाना डिगरीदार की हक्करसी की मालकी

दफ़ा (८६) खरचा इजराय डिगरी और स्वराक जो मदयून हवालातमें भेजाजाय मदयूनके जिस्मे डाला जायगा ॥

उज्जरदारीकुरकी

दफ़ा (६०) उज्जरदारी कुरकीकी अर्जी आठ आने केइस्टाम्पपर पेशहोगी और उसमें साफ़लिखना चाहिये कि किसहक्कके सबबसे दरख्वास्त पेशकी जातीहै जो अदालतको दरख्वास्त बे बुनियाद मालूम नहो तो एक दिन उस के सुनने के लिये मुकर्रर करेगी और जो तारीख मुकर्रर करे उसकी इतिलङ्घ डिगरीदार मदयून और उज्जरदार को दीजावेगी और उसकी तहकीकात ऐसेहीकीजावेगी जैसेमामूली नालिशकीइसमें उज्जरदार मुद्दई और फरीकैन मुद्दआअलेह गरदाने जावेंगे-जो यह साबित होजावे कि कुर्क कियाहुआ माल या जायदाद मदयूनकी नहींहैतो कुर्की उठादीजावेगी ॥

दफ़ा (६१) जो यह साबित होजावे कि माल या जायदाद उज्जरदार के पास गहने हैं तो उज्जरदार मुरत्तहिनको नीलामकेरुपयेमेंसे पहले गहनाभर कारुपया दिलाया जावेगा ॥

दफ़ा (६२) उज्जरदारी साबित होजावेतो उज्जरदारी

दफ़ा (६४) जो ऊपर लिखीहुई वजूहातमेंसे कोई वजह नहो तो अदालत को इस्तिधार होगा कि फ़री-कैनको बाहर बुलाने के दख्वास्त नामंजर करदे और जो कोई काफ़ीवजह हो तो तारीख मुक्करर करके दूसरे फ़रीक को इतिलाअ दीजावे ॥

दफ़ा (६५) इसपिछली सूरतमें जो ज़रूरत हो तो मुक्कदमेकीकाररवाई वैसीही की जावेगी जैसी कि मासू-ली मुक्कदमे की ॥

अपील

दफ़ा (६६) सिवाय किसी खासवजहकेनीचेकीअ-दालतका अपील ऊपरकी अदालतमें दायर होगा और बीचके हुक्मोंका अपील न होगा ॥

दफ़ा (६७) तहसीलदारी या कोतवालीके फ़ैस-लेसे अदालतदीवानीमें और अदालतदीवानीसे महक्मे खासमेंजो अपीलहो उसकीमीआदफ़ैसलेकोतारीख या इतिलाअपानेकी तारीखसे दोमहीने होगी जोदिनहुक्म की नक्ल लेनेमें गुज़रें वो मीआदमें नहीं गिनेजायेंगे ॥

दफ़ा(६८) अपीलकी अर्जीमेंफ़ूजूल बातें नहीं लिखी जानी चाहिये— अदालत का नाम नम्बर और मुक्कदमे का अनवान फ़ैसले की तारीख कि जिसका अपील हो

दफा (१०२) जो अदालतअपील अदालतमातहतके फैसलेको रद्दकरे या घटावे बढ़ावे तो अखीर तजवीज़ लिखकर उसकी नक्ल अदालत मातहतकीइतिलाओं के लियेभेजदे ॥

दफा (१०३) जो ज़रूरत हो तो अदालत अपील जियादहतहकीक्रात याकिसी शकभरी हुई बात या नई तन्हीह की तहकीकारतकेलिये सुक़दमेको अदालत मातहत में पीछाभेजसकतीहै ॥

दफा (१०४) अदालत मातहत अपीलको हुक्मों की तामील करने के बाद मिसलकों वापिस भैजदेगी और फरीकैनको फिर अदालत अपीलमेंहाजिरहोनेकी हिदायत करेगी ॥

दफा (१०५) जो अदालतअपीलमें फरीकैन सुक़दमा पंचों के सिपुर्द करने की दर्खास्त करें या अदालतअपील इस बातको मुनासिब समझे तो फरीकैनके सुकर्रे किये हुये पंचोंके सुक़दमा सिपुर्दकिया जासकताहै—

दफा (१०६) अदालत अपील वो अदालत मातहत केखुर्चेंकी तजवीज़ अदालत अपीलके हाथमें रहेगी—
मुतफक्राति ॥

दफा (१०७) फरीकैन अपने आप या ऐसे वकील

फैसलहों सदरदीवानी अदालतमें और वो अदालत मह-
ब्द में खासमें भेजाकरे जो कोई मुकद्दमा तीन महीने से
जियादह ज़ेरत जवीज़रहे तो जिस अदालतमें ऐसा मुकद्दमा
माज़ेरत जवीज़हो वो उसमें देरहोने का सबब लिख दियाकरे ॥

दफा (११३) जब किसी अदालत दीवानी से जा-
गीरदार के मालूकी कुर्की की जावे तो उसमें अदालत
मज़कूर को महक में खास की मंजरी लेनी चाहिये ॥

दफा (११४) जब मुकद्दमे की तहकीक़ात होते वक्त
कोई जाली काशज़ पेश हो या किसी फ़रीक़ या गवाह की
हलफ़ दरोग़ी अदालत में साबित होतो अदालत को इश्वित-
यार होगा कि जाली काशज़ पेश करने वाले या हलफ़
दरोग़ी करने वाले को अदालत फौजदारी के सिपुर्द करदे
और इसकी इतिलाओ अ महक में खास में करे ॥

दफा (११५) जो किसी के लड़का न हो और दूसरा
रिश्तेदार उसका वारिस हो तो उस वारिस को महक में
खास से सार्टफ़िकट विरासत हासिल करना होगा —

दफा (११६) बाहर ऐसे सार्टफ़िकट के कोई वारिस
न राजसे कोई रूप धा पास के गा न जिसका वारिस हो उस
की ज़मीन और न उसके लेन देन का दावा अदालत दी-
वानी में कर सके गा — इति

दफ़ा (२)—महब्मे खास को इख्तियार होगा कि जिस ओहदेदार सरकारी को मुनासिब समझेतहसीलातमें अफ़्सर रजस्टरी मुक्कर्रर करदे और ऐसाओहदेदार सब रजिस्टरार कहलावेगा ॥

दफ़ा (३)—महब्मे खास वो हर सब रजिस्टरार के दफ्तर में एक मोहर रजिस्टरी की अलग रहेगी ॥

दफ़ा (४)—महब्मे खासको इख्तियारात जनरल रजिस्टरार के हासिल रहेंगे और जिस क़दर हिदायत जारी हो वो महब्मे मौसूफ़से हुआ करेगी ॥

दफ़ा (५)—सब रजिस्टरार वो उनके इख्तियारात नीचे लिखे मुवाफ़िक मुक्कर्रर कियेजाते हैं और आयंदा घटाने बढ़ाने का इख्तियार महब्मे खासको है ॥

नाम सब रजिस्टरार

इख्तियारात

तहसीलदार फूलिया

सौलपये की दस्ता
वेज़ तककी रजिस्टरी करसक्ता है ॥

तहसील दारढीकोला

तथा तथा

तहसीलदारसांगरियावोकोठिया

तथा तथा

तहसीलदारधनोपवोकनेछण

तथा तथा

तहसीलदार आमली

तथा तथा

क्राविला करलिया जावे और जिस वक्त दीजावे लेनेवालेके दस्तखत करलिये जावें और रजिस्टरी के रजस्टर हर वर्ष बदलेजावें और पुराने रजस्टर सब रजिस्टरारों के दफ् तर से जनरल रजिस्टरारके दफ् तर में आजाने चाहिये ॥

दफा (१०)—जिस किसी जगह दस्तावेज़ मशकूक याने कोई लफ़्ज़ काटा वा बिगड़ा हुआ हो तो नक़ल में दिखला दिया जावे—और उस दस्तावेज़ के ऐसी जगह पर रजिस्टरारके दस्तखतभी होनाचाहिये ॥

दफा (११)—जिस वक्त दस्तावेज़ रजिस्टरी के वास्ते पेशहो उसकी पुश्तपर तारीख वो वक्त पेशी का और नाम पेशकरनेवाले का दर्ज होना चाहिये ॥

दफा (१२) जिस वक्त दस्तावेज़ ओहदेदार रजिस्टरीके पास पेशहो चाहे उसकी रजिस्टरी—इख़्तियारी हो—या लाज़िमी—वो आदमी या कई आदमी जिनकी तरफ़ से दस्तावेज़ लिखी गई हो या उसके या उन के क्रायम मुक्काम जायज़ या मुखतार मजाज़ ओहदेदार रजिस्टरी करने वालेके रूबरू हाज़िर होने चाहिये उस वक्त ओहदेदार रजिस्टरी को मुआफ़िक लिखे नीचे के काररवाई करनाचाहिये ॥

कि जिनको ओहदेदार रजिस्टरी जानता है पहिचान लिया फिरइसके बाद पुश्त दस्तावेज़ पर—तादाद फ़ीस व नम्बर सफ़े रजिस्टर कि जिसमें उस दस्तावेज़ की नकल की गई होसाफ़ दरज होना चाहिये ॥

दफ़ा (१४)— हरएक दस्तावेज़ की किजोरजिस्टरी के वास्तेपेश होना लाज़िम है दस्तावेज़ के लिखे जानेको तारीख से दो महीने के अंदर रजिस्टरी होना चाहिये जो अंदर इस मिआद के दस्तावेज़ किसी सब से पेश नहो— और उसके बाद फ़िरक्छा महीने के अंदर पेश हो तो ओहदेदार रजिस्टरी उसकी रजिस्टरी कर देगा परंतु इस पिछली सूरत में फ़ीस रजिस्टरी की हूनी लोजावेगी और जो कोई वजह माकूल पेश होतो तावान न लिया जावेगा ॥

दफ़ा (१५)— जो दस्तावेज़ लिखने वाला उसको पेश न करे तो जिसके हक्क में वो दस्तावेज़ लिखी गई है वह पेश करने का इस्तिधार रखता है और जो वो मामूली तलवाना दाखिल कर देतो दस्तावेज़ लिखने वाला या लिखने वाले जैसी कि सूरत हो बुलाकर के काररवाई रजिस्टरी की जायगी ॥

होती है इसलिये नीचेलिंखी हुई सूरतों में उनका इन्त-
काल हो सकता है और रजिस्टर भी की जासकती है ॥

(१) जबकि एक ही खानदान में कि जिसके मूरिस को
असल में ज़मीन डोहली या माफ़ी में दी गई हो एक आद-
मी दूसरे के हाथ अपना हिस्सार हन भी गलाऊ या बैं करे-

(२) — जबकि किसी आम फायदे के काम के लिये
डोहली या माफ़ी की ज़मीन खरीद की जावेया रहने रखी
जावेतो भी जायज़ तस्वीर की जायगी बशर्ते कि मज़-
हब का लिहाज़ भी उसमें रहे हैं याने हिन्दू की ज़मीन कि सी
मुसलमान के हाथ मसजिद बगौरह के फायदे के लिये बैया
रहने की जावेगी और न इसी तरह मुसलमान की ज़मीन
हिन्दू के हाथ ॥

(३) — डोहली या मुआफ़ी की ज़मीन मकफ़ल हो
सकती है या वरस कटी में रहन हो सकती है बशर्ते कि
डोहली या माफ़ी दार उसको किसी ऐसी बड़ी ज़रूरत
के बक्तव्य करे कि जिससे खानदान को बढ़ालगे या मज़ह
वी ज़रूरी काम करने में पत्तर पढ़ता हो परंतु इसमें यह
शरत हमेशह समझी जावेगी कि जिस बक्तव्य
उस ज़मीन से गिरवी से दूना रुपया मुनाफ़े से मुरत हिनको बंसूल
हो जावे उस बक्तव्य गिरवी रखने वाले यो उसकी ओलाद

दफ़ा (२२) जिन दस्तावेज़ात की रजिस्टरी होनी लाज़िम है वो जीवे लिखी जाती हैं ॥

(१) रहननामा वो कि प्रालृतनामा वो दस्तावेज़ बरसकटी बाबत जायदाद गैर मन्कूला ॥

(२)—बैनामाबाबत जायदाद गैर मन्कूला ॥

(३)—हिबहनामा चाहे जायदाद मन्कूला काहो या गैर मन्कूलाका ॥

(४) मुखतार नामाञ्चाम ॥

(५) दस्तावेज़ ठेकाजोपांच साल से जायद के वास्ते किसी रघ्यत की तरफ से हो ॥

(६) फारखती ॥

(७)—तबनियत नामा याने गोदका काग़ज़ ॥

(८) तक्सीमनामा बाबत जायदाद मन्कूला याएँ रमन्कूला ॥

दफ़ा (२३) यहाँ रजिस्टरी के कायदे सम्बत १९३० से जारी हैं इसलिये सम्बत १९३० या उसके बाद की दस्तावेज़ विना रजिस्टरी ऐसी पेश हो कि जिसकी रजिस्टरी लाज़िमी थी तो उसकी निस्बत काररवाई बमूजिब दफ़ा (२४) की जावेगी ॥

दफ़ा (२४) जिन दस्तावेज़ात की रजिस्टरी इन-

ज्ञमोमा नम्बर ४ फ्रीसदृतावेज़रजिस्टरी ॥

क्रिस्मदस्तावेज़	जो तादादनीचे जो तादाद नी लिखी से ज़िया-चेलिखी से ज़ि दहहो यादहनहो	संक्षेप तात्त्व	क्रिस्मदस्तावेज़रजिस्टरी
रहन नामा बा. कि			
फालतनामा बाब-			
त जायदाद गैर			
मन्कूला	+	३४)	१)
	२४)	५०)	१)
	५०)	६५)	३)
	७५)	१००)	१)
	१००)	१२५)	१)
	१२५)	१५०)	११)
	१५०)	१७५)	११)
	१७५)	२००)	२)
	२००)	२२५)	२)
	२२५)	२५०)	२०)
	२५०)	२७५)	२०)
	२७५)	३००)	३)
	३००)	३२५)	३)
	३२५)	३५०)	३०)
	३५०)	३७५)	३०)
	३७५)	४००)	४)
	४००)	४२५)	४)
	४२५)	४५०)	४)
	४५०)	४७५)	४०)
	४७५)	५००)	५)

क्रिस्मदस्तावेज़	जो तादादनीचे लिखी से ज़ियाचेतिखोसे ज़िदह हो	जो तादाद नी लिखी से ज़ियाचेतिखोसे ज़ियादह नहो	तादादरजिस्टरी
३००	३२५	१६।	
३२५	३५०	१७।।	
३५०	३७५	१८।।।	
३७५	४००	२०।	
४००	४२५	२१।।	
४२५	४५०	२२।।।	
४५०	४७५	२३।।।	
४७५	५००	२५।	
५००	५२५	२७।।	
५२५	५५०	२८।।।	
५५०	६००	३०।	
६००	६२५	३२।।।	
६२५	६५०	३४।	
६५०	६७५	३६।।	
७००	७२५	३८।।।	
७२५	७५०	४०।	
७५०	८००	४२।।।	
८००	८२५	४४।।।	
८२५	८५०	४६।।।	
८५०	८७५	४८।।।	
८७५	९००	५०।।।	
९००	९२५	५२।।।	
९२५	९५०	५४।।।	
९५०	९७५	५६।।।	
९७५	१०००	५८।।।	
		५०।	

आयंदाफ़ीसैकड़े याउसकेहिस्सेपर

दशहजारतक

दशहजारसेज़ियाद
हक्कीदस्तावेज़मेंफ़ै

कोई उज्जर उस जायदाद की निस्बत नहीं सुना जायगा मगर नम्बरी दावा उसका होसका है ॥

दफ़ा (७६) यहां पेशकंसी अक्सर मकान या खेती की ज़मीन पर लगती है इसलिये नीलाम के बक्त नीलाम करनेवाले अहल्कार को यह बात ज्ञाहिर करदेनी होगी किजो हक्कराजका उसजायदादमें है वोबदस्तूर बनारहेगा और उसका ज़िस्मेदार ख़रीदार होगा ॥

दफ़ा (८०) जो फ़रीक्कैन के आपसमें फ़ैसला होजावे तो इजरायडिगरी की कार्रवाई फ़ौरन बंदकरदी जायगी और मुक़द्दमा रजिस्टर से खारिजकरके दास्तिल दफ़तर कियाजावेगा ॥

दफ़ा (८१) जो डिगरीदार मदयूनको हवालात में भेजने की दरख्बास्त पेशकरे तो उसकी मंजूरी महकमे खाससे लेनीहोगी और यह मंजूरी उसी हालत में दी जावेगी कि जब यह साबित कियाजावे कि मदयून अपनी जायदाद को क्षिपाना चाहता है या डिगरीका रुपया इरादतन् देना नहीं चाहता ॥

दफ़ा (८२) हवालातकी दरख्बास्त मंजूरहोनेकी हालतमें मदयून नोचेलिखी हुई शरहके मुवाफ़िक हवालात में रहसका है ॥

कुर्क्के ज़रियेसे नहीं रोकेगा जो डिगरी पच्चीस रुपयेसे कमकी नहो जो डिगरी इससे कमकीहो और अदालत मुनासिब समझे तो मदयून को आयन्दा की जवाब दही से बरी करसकी है ॥

दफ्ता (८५) मदयूनकेमरजानेसेउसके वारिस जवाबदही डिगरीसे बरी न समझे जावेगे —

दफ्ता (८६) जोडिगरीदार मरजावे तो डिगरी बदस्तूरजारीरहेगी बशर्ते कि उसका वारिस पंदरह दिनके अन्दर दरख्वास्त क्रायम मुक्कामी पेशकरदे जो ऐसी दरख्वास्त पेशनहो तो मुक्कदमा इजराय डिगरी खारिज करदिया जावेगा परंतु आयन्दा वारिस डिगरीको फिर जारीकरासका है ॥

दफ्ता (८७) चूंकि इजरायमें सिफ़ असली हुक्म डिगरीकीतामीलहोतीहै इजरायमें नथा फ़ैसला करने केलिये मुक्कदमा सुपुर्द पंचायत नहींहो सका ॥

दफ्ता (८८) इजराय डिगरीमें जो दरख्वास्त कुरक्कीमालया जायदाद की जावेतोतलबाना उसीशरहसे लियाजायगाकि जैसे मामूली लिया जाताहै परंतु जो दरख्वास्त हवालातकी कीजावे तो तलबाना मामूल से दूना देनाहोगा ॥

का खर्चा जो अदालत मुनासिब समझे डिगरीदार से दिलाया जावे और जो साबित न हो तो खर्चा फरीक सानी उजुरदारसे दिलाया जावेगा ॥

नज़रसानीफैसला

दफा (६३) अदालत दर्खास्त नज़रसानी आठ आनेके इस्टाम्पपर लेसकी है बशर्ते कि अपील उस तजवीजका दायर न हुआ हो और वो दर्खास्त फैसले की तारीखसे तीन महीनेके भीतर गुज़रजाय और उसकी बुनियाद इसतरहपर हो ॥

(१) कोई नया सुबूत बावजूद पूरी कोशिशके मुकद्दमे की तहकीकात के बक्त न मिलाहो और पीछेसे निकल आवे ॥

(२) जो कोई बड़ी बेज़ाबतगी हुई हो या मुकद्दमेकी असली बातोंके समझनेमें गलती होनेके सबबसे फैसले में रिआयत होगई हो ॥

(३) जो और किसी सबबसे अदालत दर्खास्त नज़रसानी लेना मुनासिब समझे ॥

ऐसी दर्खास्त सिफ़ वो ही हाकिम लेसका है जिस ने पहिले हुक्मदिया हो उसकी जगह आनेवाला हाकिम नहीं ॥

लिखनी चाहिये और यह भी कि इतनेके सलेमें उज्जुरहैं अपील की वजूहात के नम्बर लगाने चाहिये और एक उज्जुर दुबारानहीं लिखना चाहिये और जहाँतक हो सके वजूहात मुख्तसिर हों अपील की अर्जी के साथ उस अख्तीरफे सले या हुक्म की नकल पेश करनी चाहिये जिस का अपील किया जाय ॥

दफा (६६) जिस मुकद्दमे में नज़रसानी हो जाय बसूरत नामंजूरी नज़रसानी के असली फे सलेका अपील नहो सकेगा और जो नज़रसानी मंजूर हुई हो तो दसरे फरीक को इत्यारहा सिल होगा और अपील की मीआदन ज़रसानी के फे सले की तारीख से गिनी जायेगी —

दफा (१००) दस्तवास्त अपील बगौर देखने मिसल अदालत मातहत के खारिजन की जावेगी परंतु जो अपील की वजूहात का फ़ीन हों तो बगौर बुलाने के फरीकैन मुकद्दमा के अपील दाखिल दफतर किया जासकता है ॥

दफा (१०१) जो अपील की वजूहात मुनासिब मालूम हों तो उसके सुनने के लिये एक दिन मुकर्रर किया जायगा और ज़ाब्ते के मुवाफ़िक उसकी इतिलाअ फरीकैन को दीजा जावेगी और फरीकैन के उज्जरात और वजूहात पर शौर किया जावेगा ॥

की मारफ़त हाजिर अदालत हो सके हैं जिसको पूरा इ-
ख्वतियार दिया गया हो —

दफ़ा (१०८) हरएक मुख्तार उस अदालत के
अफ़सर का मातहत रहेगा जहाँ वो वकालत करता है
और उन कायदोंका पाबंद होगा जो समय २ पर उस अ-
दालत से जारी हों ॥

दफ़ा (१०९) किसी नाबालिंग या पागलकी तरफ़
से या उनपर कोई नालिश नहीं सुनी जायगी और जो
किसी मुक़द्दमे में ऐसा फ़रीक हो तो उसके करीब रिश्ते
दार या वली को उस मुक़द्दमे की जवाबदही के लिये ज़रूर
उसके शामिल रखना चाहिये —

दफ़ा (११०) जो क़र्ज़ लेने वाले का कोई ज्ञामि-
नहो तो मुद्दे को इख्वतियार होगा कि वो दोनों पर दावा
करे और जो डिगरी हो जाय तो उनमें से जिससे चाहै
एक से रुपया वसूल करें या दोनों से ॥

दफ़ा (१११) जो किसी मुक़द्दमे में कई मुद्दे आ अलेह हों तो
डिगरी दारको इख्वतियार होगा कि चाहे सबसे अपना रुपया
वसूल करे या किसी एक से जिसको वो मोतबिर समझे ॥

दफ़ा (११२) की तवाल वो तहसीलदार हर मही-
ने एक नक़शा उन मुक़द्दमों का जो उनके यहाँ दायर वो

जावेदीवानी

रियासत शाहपुरा

मुरत्ति बे

बाबूरामजीवन कामदार रियासतशाहपुरा
हस्तुलहुकम वो मंजूरी राजाधिराज
श्री नाहरसिंह जी साहब
ईस शाहपुरा

लखनऊ

मुशीनवलकिशोर के छोपेखाने में छपा

अक्टूबर सन् १८८७ ई० ॥

जाबृतेदीवानीरिधासत शाहपुरा

॥४३॥

दफ्ता (१) इस रिधासतमें दरजे हाथ अदालत नीचेलिखे मुवाफिक हैं और उनके इस्तिधारात हरएक के सामने लिखदिये गये हैं ॥

(क) अदालत कोतवाली—इसको यह इस्तिधार दियागया है कि खास शाहपुरे के सारे मुक़द्दमे जिनमें दावा दस रुपये से ज़ियादा न हो सुनाकरे ॥

(ख) अदालत तहसीलदारान्—इनको यह इस्तिधार दियागया है कि अपने अपने हल्केमें दीवानीके सारे मुक़द्दमे जिनमें दावा सौ रुपये से ज़ियादाका न हो सुनाकरें ॥

(ग) अदालत हाकिमकाछीला—इसको इस्तिधार दिया गया है कि अपने हल्केके सारे दीवानीके मुक़द्दमे और वो मुक़द्दमे कि जिनमें मुहर्झ मेवाड़ या गैरइलाक़े का हो और जिनमें दावा पाँच सौ रुपये से ज़ियादे का न हो सुनाकरे ॥

लायक हो इस अदालत में पेश हो जाये तो उसको सुन कर फैसला कर दे और ऊपरलिखी हुई सब अदालतों की सम्हाल इसके जिसमें होगी और मुकद्दमे की कार्रवाई के लिये जो हिदायतें जारी हों वो यहांसे या इस अदालत की मंजूरी से हुआ करेंगी ॥

दफ्ता (२) इस रियासत में दीवानी के मुकद्दमे तीन सूरतों में सुने जासकते हैं ॥

(१) जबकि लेनदेन इलाके शाहपुरे काहो या दावेकी बुनियाद इस रियासत के इलाके में पैदा हुई हो ॥

(२) जब कि मुद्राओं लेह की कोई जायदाद और मनकूला या उगाही इस इलाके में हो ॥

(३) जबकि मुद्राओं लेह रोटी पैदा करने के लिये रहता हो और इस इलाके में नौकरी वा ब्योपार करता हो ॥

दफ्ता (३) जो मुकद्दमा एक दफ्ते सुना जाकर फैसल हो चुका वो उसी बुनियाद पर दूसरी दफ्ते नहीं सुना-जायगा मगर जो किसी अदालत ने पहले मुद्राओं दूसरी दफ्ते दावालगाने की परवानगी दी हो तो यह दफ्ते उसको न रोकेगी ॥

(नोट) इस रियासत में अब तक यह कायदा जारी है कि जो तीन बरसतक कोई डिगरी जारी नहो तो वो

दियागया हो तो नहीं सुनाजायगा दूसरे रियासत के पोलिटिकल कार्रवाई में भी अदालत दीवानी हाथ नहीं डाल सकी जैसे जो कोई जागीर जब्त करलीजाय या बदल दीजाय तो उसका दावा दीवानी में नहीं हो सका तीसरे जो मुक़दमे मालकी कचहरी से पैसल होने चाहिये वो दीवानी में नहीं सुने जायगे ॥

दफ्ता (५) मुद्दई को इस्तियार है कि अपने दावेका कुछ हिस्सा छोड़ दे परंतु ऐसे छोड़े हुये हिस्से की फिर नालिश नहीं सुनी जायगी ॥

दफ्ता (६) जो किसी करजे में किश्तें बंध गई हों तो मुद्दई को इस्तियार है कि चाहे अपने सारे रूपये का दावा दस्तावेज़ की शर्त मुवाफ़िक़ करे या केवल चढ़ी हुई किश्तों का इस पिछली सूरत में जो किश्तें पीछे से चढ़ें उनके दावे को दफे (३) नहीं रोकेगी ॥

दफ्ता (७) जो दावा इस्टाम के कागज़ पर मुद्दई या उसके पूरा इस्तियार रखने वाले मुख्तार को तरफ से ऐसी अदालत में जो उस दावे के सुनने का इस्तियार रखती हो नीचे लिखी हुई सूरतों में पेश किया जाये तो उसकी कार्रवाई शुरू को जावेगी ॥

दफ्ता (८) अरज्जी दावे पर दस्तखत और तस्दीक़

बयान लिखना मुनासिवहोतोलिखले परंतु जो अरज्जी दावेकी तेसदीक्रकीगई हो और उसमें सारी बातें लिखी हुईहोंतो शायद मुद्दई का बयान लिखनेको ज़रूरतनहीं होगो और ऐसोहालत में पहले सरिष्टेसे रिपोर्टमांगी जायेकि इस्टाम और अरज्जी दावेमें लिखीहुई सारीबातें ठीकहैं या नहीं ॥

दफा (११) जो अरज्जीदावा ठीकहो और उसमें नालिशकी बुनियाद पक्कीपाईजावे तो मुक्कद्दमे के सुनने के लिये एकदिन मुक्करर कियाजावे और वो गवाहजि- नके नाममुद्दई लिखावे सम्मनया जाब्तेका कागजजारी करके बुलायेजावें ॥

दफा (१२) जो मुद्दआञ्चलेह बड़े दरजेका आदमी हो तो कैफियत या कागज भेजकर बुलाया जावे नहींतो सम्मनभेजाजावे और अरज्जीदावेको एक नक्ल उसको सम्मन के साथदीजावे जो मुद्दआञ्चलेह एकसे जियादा होंतो हरएकके नाम सम्मन और अरज्जीदावेकी नक्ल अलग रजानीचाहिये ॥

दफा (१३) सम्मन या कैफियत या कागजमेंअदा- लतका नाम और मुक्कद्दमे का अनवान साफ लिखना चाहिये और मुद्दआञ्चलेह या गवाहका जैसीकि सूरतहो

चाहिये कि मुहआँलेहको इत्तिलाअ होगई और फिर मुक्कदमेको ऐसीहालतमें एकतरफीफ़ सलकरदियाजावें॥

दफा (१७) जो मुहआँलेहमौजूदनहो और उसका ठीकपता भी मुहई न बतासके और उसके घरमें कोई मर्दभी न मिलें तो ऐसी सूरतमें भी सम्मन उसके घरपर चिपका दियाजावे परंतु ऐसेसम्मनमें हाजिरीकी मीठाद एकमहीनेसे कम नहो ॥

दफा (१८) किसी सूरतमें कोई परदे वाली औरत या ऐसा सरदारजिसको अदालतकी हाजिरीमाफ़ हो चुकी हो जबरदस्तीसे अदालतमें नहीं बुलाया जायगा ॥

दफा (१९) जो दिन और वक्त मुक्कदमेके सुननेकेलिये मुक्कर्र कियागया हो उसपर मुहई हाजिर नहो और केवल मुहआँलेह अपने आप या उसका वकील हाजिर हो तो मुहई का दावा खारिज करदिया जावेगा परंतु जो मुहआँलेह या उसका मुख्तार मुहई के दावेको क़बूल करे और हासियेके गवाह मुहआँलेहको पहिंचाने तो मुहई की डिगरी करदीजायगे और जो ऊपरलिखे मुवाफ़िक मुक्कदमा खारिज हो जाय तो केवल उस हालतमें सुना जायगा कि मुहई अपनी गैर हाजिरीका वाजबी सब बबतलावे और मुक्कदमा फिर नम्बरपर कायम करने की दर-

गवाहइसबातके लेकरकि हक्कीकतमें मुहङ्गाअलेह बोही है जो अदालत के रूबरू पेशहुआ है अदालतफैसला और डिगरी लिखदे ॥

दफ्ता (२३) जो मुदङ्गाअलेह मुद्दई के दावेसे इनकारकरे तो अदालत को चाहिये कि फ़रीक्नैन मौजूदा या उनके मुख्तारों से या जो कागज मिसलमें शामिल होचुके हों उनसे ऐसी तहकीकात करे कि जिससे अदालतको साफ़ मालूम होजाय कि क्या क्या बात दर्शाफ़ करने के लायक है ॥

दफ्ता (२४) जब यह कार्रवाई पूरी होजावे तो अघ्रतनकीह तलब लिखदिये जावें और उनको एकएक नक्ल फ़रीक्नैन या उनके मुख्तारों को देदीजावे या उनको हिदायत करदीजावे कि वो अपना आप नक्ल करलें ॥

दफ्ता (२५) जब एक अघ्र वाक्फ़ एक फ़रीक्क की तरफ़ से पेशहो और दूसरा फ़रीक्क उससे इनकार करे तो अघ्रतनकोहतलब पैदाहोता है ॥

दफ्ता (२६) अदालत को तजवीज करना चाहिये कि किस अघ्रतनकोहतलब का सबूत किस फ़रीक्क के जिम्मेहै और यह भी लिहाज रखना चाहिये कि अघ्र

न हुइ हो बशते कि वो दस्तावेज संवत् १६३० से पहले की नहो—

(२) जिस तमस्सुक्त की पुष्टपर अलावह वसूल बाकी कोई नया इक्करार या इबारत बै या इतिकाल लिखी हो—

दफा (३०) अस्त्रतनकीहतलब मुक्तरर करने के बाद उनका सबूत पेशकरने के लिये एक तारीख मुक्तरर होनी चाहिये और फ़रीक्नैन को हिदायत होजानी चाहिये कि सबूत में जो गवाह लिखें उनके निस्बत अपने अपने जवाब में साफ़ लिखदें कि उन गवाहोंको वो अपने आप हाजिर करेंगे या अदालत की मारफ़त तलबकराना चाहेंगे ॥

दफा (३१) जो फ़रीक्नैन अपने गवाह अदालतकी मारफ़त तलबकरावे तो फ़रीक्नैन के जवाब पेशहोनेपर जाब्तेके मुवाफ़िक्क सम्मन उन क़वायद के मुवाफ़िक्कजो ऊपर लिखेगये हैं जारी कियेजावे ॥

दफा (३२) जो गवाहोंको अदालतमें हाजिरहोने से डन्कार हो या इतिलाअपाई करनेके बाद हाजिर नहों तो जबरन बुलाये जासक्ते हैं यानेवारंटजारी कर के अलावा उन के कि परदे के सबसे या अपने जातो

(३) मौकिकी तहकीकात के लिये या किसी और बातके लिये जो अदालत मुनासिब समझे ॥

दफ्ता (३५) मुद्रआङ्गलेह या गवाह या कमीशन के बुलाने के लिये जो किसी फरीक़ की दरख्वास्त से मुकर्रर कियागया हो या अदालतकी रायसे नीचे लिखे मुवाफ़िक़ तलबाना फ़ी आदमी उस फरीक़ से लिया जावेगा-कि जिसकी दरख्वास्त पर वो आदमी बुलाया जावे ॥

दशरुपये तकके दावेमें दो आने

दशसे ज़ियादह ५०) तकके दावे में ।

पचास से ज़ियादह १००) तकके दावेमें ।

सौ से ज़ियादह १०००) तकके दावेमें ॥

हज़ारसे ज़ियादह ३०००) तकके दावेमें ॥

तीनहज़ार से ज़ियादह के दावेमें ।

यही शरह तलबानेकी हालमें जारीहै और बदस्तूर रखवी जावेगी ॥

दफ्ता (३६) जब कि मुकद्दमेकी तहकीकात होरही हो मुद्र्द्वारा अलेह आपस में फ़ैसला करलें और राजीनामा दाखिल करदें तो मुकद्दमा फ़ौरन् खत्मकर-देना चाहिये ॥

चाहिये और जो मुहर्दीका हक्क सावित हुआ हो तो उसे कैफियत के मुवाफ़िक़ अदालत डिगरी सादिरकरदे ॥

दफ़ा (४१) जो एक पंच उन मुकर्रर किये हुये पंचों में से पंच होने से इनकार करे या पंचायत की कार्रवाई नहीं करे तो अदालत दूसरा पंच उसकी जगह फ़रीक़ैन की मरज़ी से मुकर्रर कर सकती है जो अखीर में यह मालूम होवे कि पंच कुछ राय नहीं देसकते हैं तो अदालत को इखतियार होगा कि हुक्म पंचों के मुकर्रर करने का मनूसूख करदे और मिसल की रुयदाद पर मुकदमा फ़सल और तजवीज़ करदे ॥

दफ़ा (४२) जब पंचों के मुकर्रर करने का हुक्म दिया जावे तो जिन २ बातों की तजवीज़ होना ज़रूर है साफ़ २ लिखकर पंचों को देदी जावें ॥

दफ़ा (४३) गवाहों के इज़हार हलफ़ से होने चाहियें और जो मुहर्दी मुहआ़ले हके बयान लिये जावें वो भी हलफ़ से होना चाहिये ॥

दफ़ा (४४) जो कोई गवाह या मुहर्दी या मुहआ़ले ह हलफ़ से इज़हार देने से इनकार करे तो उस पर जुर्म मुवाफ़िक़ दफ़ा १७६ ताज़ीरात हिँद के क़ायम कर के सिपुर्द अदालत फ़ौजदारी किया जावेगा ॥

वीज़ करने वाले को किसी तरह का इख्तियार फैसले में घटाने या बढ़ाने या बदलने का नहोगा जबतक कि दरख्वास्त नज़रसानी की पेश होकर ज्ञावते की कार्यवाई नहीं कीजावे ॥

दफा (४६) जो कोई मुक्कहमा किसी करसेपर हो तो—चूंकि अक्सर बोहरे सूदकाटावगौरह से असामी को बहुत ज़ेरबार करते हैं और करसे से एकमुश्त रुपये का अदाहोना मुश्किल होता है इसलिये हाकिम अदालत पहले मुद्दआङ्गलेह की हैसियतका हाल अपने तौर पर या तहसीलदार को मारफ़त दरियाप्त करले उसके बाद डिगरी में मुद्दआङ्गलेह की हैसियत के मुवाफ़िक नक़द क़िस्ते और भरना तजवीज़ करदे—और जो भरना तजवीज़ कियाजावे उसमें यह भी ज़रूर लिखदेना चाहिये कि भरना रुपये में कितने आनेका होगा और उसकी कीमत किसतरह से तजवीज़ की जावेगी—और जो मुद्दआङ्गलेह महाजन था कोई और जातका हो तो अदालत जैसे मुनासिब समझे तजवीज़ करे ॥

दफा (५०) तजवीज़ करने के बाद डिगरी लिखी जावे और डिगरी में तादाद रुपये डिगरी और यह भी कि किसतरह पर फैसला कियागया दर्ज कियाजावे—

दफा (५५) चंकि बरसात में करसोंको बहुत काम रहता है और उनके बार बार बुलाने में खेती का बड़ा हर्ज होता है- इसलिये १५ जून से १५ अक्टूबर तक करसोंके मुक्कदमे नहीं सुनेजायेंगे और जो इस अरसे में किसी दावे की मीआद पूरी होजाये तो यह दिन मीआद में नहीं गिनेजायेंगे और जो दावा १६ अक्टूबर को पेश होजावे वो अन्दर मीआद समझा जावेगा अलवता जो ऐसा दावा उस तारीख को पेश नहो तो उसकी मीआद बाकी न रहेगी ॥

(तशरीह) करसा वो ही समझा जायगा कि जिसके सिवाय खेतीके और कोई पेशा नहो ॥

कुक्की या गिरपतारी फैसले से पहिले—

दफा (५६) नालिश दायर होनेसे पीछे और फैसले से पहिले जो मुद्दई तहसीरी दरख्वास्त पेश करके यह जाहिर करे कि मुद्दआँलेह हक्करसीमें देरकरने या अदाय रुपये में हर्ज ढालनेकी नीयतसे अपनामाल अलग करता है तो मुद्दई के यहबात हलफन् जाहिर करने और दो गवाह पेशकरने पर अदालत मुद्दआँलेह से जमानत इसबातकी लेले कि जो मुद्दई की डिगरी होजाय तो जामिन उस डिगरी का रुपया अदा-

नालिश बसीगौं मुफ़्लिसी

दफ्टा (६०) जोकोई आदमी ऐसा गरीब हो कि फ़ीस मुकर्ररा अदा न कर सके तो वो नालिश या अपील सादे कागज पर कर सकता है ॥

दफ्टा (६१) ऐसा दावा करने वाले को लाजिम होगा कि पहले अपनी दरख्ती स्त अदालत मजाज़ या महक मे खास में पेश करे और मुफ़्लिसी का सबूत और उस जायदाद की फ़ेहरिस्त भी दाखिल करे जो वो रखता हो —

दफ्टा (६२) जो तहकीक़ात करने के बाद अदालत की राय में यह बात साबित हो जावे कि हक्कीक़ात में उस आदमी के पास इसक़िर्स्म की जायदाद नहीं है कि जिस से मुकद्दमे का खरचा अदा कर सके तो उसको मुफ़्लिसी में नालिश दायर करने की परवानगी दी जावेगी ॥

दफ्टा (६३) ऐसी परवानगी हासिल करने पर उस शख्स को सादे कागज पर ज्ञान्ते के मुवाफ़िक़ अर्जी दावा पेश करने का इख्तियार होगा और ऐसा अर्जी दावा पेश होने पर वो ही कार्रवाई की जायगी जो दूसरे दावों में की जाती है मगर इसका खर्चा मुकद्दमा फ़ैसल होने के बाद जो डिगरो होतो मुद्रा अलेह से वसूल किया जावेगा या जो डिगरी में खरचा जिसमें मुद्रा रहे तो जर

वगैरमन्कुला भी कर सकती है लेकिन इजरायडिगरी की बाकी कार्रवाई अपील की मिश्राद गुजरने के बाद होगी और जो अपील दायर हो जावे तो फैसले अपील के बाद जो ज़रूरत हो—

दफा (६७) जब इजरायडिगरी की दरख्वास्त अदालत में पेश हो तो रजिस्टर में चढ़ाने के बाद अलग नम्बर पर यह मुकदमा कायम किया जायगा ॥

दफा (६८) जो डिगरी एक साल के भीतर जारी होतो इजराय डिगरी की कार्रवाई फौरन शुरू करदी जायगी नहीं तो मद्यन को पंदरह दिन का इतिलङ्घनामा दिया जायगा और इतिलङ्घनामे की मिश्राद गुजरने के पीछे कार्रवाई इजराय की जावेगी ॥

दफा (६९) जो कोई डिगरी बराबर तीन साल-तक जारी न हो तो तीन बरस पूरे होने के बाद वो डिगरी खरिज समझी जावेगी सिवाय उस सूरत के कि जिसका ज़िक्र दफा (३) के नोट में किया गया है ॥

दफा (७०) डिगरी दारको इखत्यार है कि मद्यन की जायदाद मन्कुला वो गैर मन्कुला की कुरक्की की दरख्वास्त पेश करे लेकिन नीचे लिखी हुई चीज़ें कुर्क नहीं हो सकती हैं—

और डिगरी का रूपया देने के बाद जो कुछ बाक़ी रहे गा वो मदयन को दिया जावेगा ॥

दफा (७३) जो डिगरी में जायदाद मन्कूला कुर्की हो तो कुरकी के बत्ते उसका सुपुर्दना माकि सीती सरे आदमी से लिया जावे याजो कोई सुपुर्दना मान देतो कुरकी हुई चीज़ डिगरी दारके सुपुर्द कर कर उससे सुपुर्दना मालिखा लिया जावे और उसमें पंदरह दिन का इश्तहार दिया जावे ताकि जिस किसी को उसकी निस्बत उज्जूहो अपनी उज्जरदारी उस मिश्रादमें पेश करदे ॥

दफा (७४) जो जायदाद गैर मन्कूला कुर्की हो तो एक महीने का इश्तहार जारी किया जावेगा और एक नकल उस इश्तहार को कुरकी हुई जायदाद पर चिपकाई जावेजो किसी को उस जायदाद के निस्बत कुछ उज्जूहो होतो उस मिश्रादमें उज्जरदारी पेश करदे ॥

दफा (७५) ऊपरलिखी हुई मिश्राद गुज्जरने पर जो माल मन्कूला हो तो वो नीलाम किया जावेगा और जो जायदाद गैर मन्कूला होतो पंदरह दिन का इतिलङ्घना मामदयन को फिर दिया जावेगा और जो उस मिश्रादमें भी वो डिगरी का रूपया ग्रान करे तो कुरकी की हुई जायदाद नीलाम की जावेगी ॥

कोई उज्जर उस जायदाद की निस्वत नहीं सुनाजायगा
मगर नम्बरी दावा उसका होसका है ॥

दफ़ा (७६) यहां पेशकसी अक्सर मकान या खे-
ती की ज़मीन पर लगती है इसलिये नीलाम के बक्त
नीलाम करनेवाले अहल्कार को यह बात ज़ाहिर कर-
देनी होगी किजो हक्कराजका उसजायदादमें है वोबदस्तूर
बनारहेगा और उसका ज़िम्मेदार ख़रीदार होगा ॥

दफ़ा (८०) जो फ़रीक्नैन के आपसमें फ़ैसला हो-
जावे तो इजरायडिगरी की कार्रवाई फ़ौरन बंदकरदी
जायगी और मुक़दमा रजिस्टर से ख़ारिजकरके दाखिल
दफ़तर कियाजावेगा ॥

दफ़ा (८१) जो डिगरीदार मद्यूनको हवालात में
भेजने की दरख्वास्त पेशकरे तो उसकी मंजूरी महकमे
ख़ाससे लेनीहोगी और यह मंजूरी उसी हालत में दी
जावेगी कि जब यह सावित कियाजावे कि मद्यून
अपनी जायदाद को क्षिपाना चाहता है या डिगरीका
रूपया इरादतन् देना नहीं चाहता ॥

दफ़ा (८२) हवालातकी दरख्वास्त मंजूरहोनेकी
हालतमें मद्यून नीचेलिखी हुई शरहके मुवाफ़िक हवा-
लात में रहसका है ॥

कुकुर्कीके ज़रियेसे नहीं रोकेगा जो डिगरी पञ्चीस रुपयेसे कमकी नहो जो डिगरी इससे कमकीहो और अदालत मुनासिब समझे तो मदयून को आयन्दा की जवाब दही से बरी करसकी है ॥

दफ़ा (८५) मदयूनके मरजानेसे उसके वारिस जवाबदही डिगरीसे बरी न समझे जावेगे —

दफ़ा (८६) जो डिगरीदार मरजावे तो डिगरी बदस्तूरजारीरहेगी बशर्ते कि उसका वारिस पंदरह दिनके अंदर दरख्वास्त कायम मुक्कामी पेशकरदे जो ऐसी दरख्वास्त पेशनहो तो मुक्कदमा इजराय डिगरी खारिज करदिया जावेगा परंतु आयन्दा वारिस डिगरीको फिर जारीकरासका है ॥

दफ़ा (८७) चूंकि इजरायमें सिफ़ असली हुकम डिगरीकीतामीलहोतीहै इजरायमें नया फ़ सला करने केलिये मुक्कदमा सुपुर्द पंचायत नहींहो सका ॥

दफ़ा (८८) इजराय डिगरीमें जो दरख्वास्त कुरकीमालया जायदाद की जावेतो तलबाना उसीशरहसे लियाजायगा कि जैसे मामूली लिया जाताहै परंतु जो दरख्वास्त हवालातकी कीजावे तो तलबाना मामूल से दूना देनाहोगा ॥

का खर्चों जो अदालत मुनासिब समझे डिगरीदार से दिलाया जावे और जो साबित न हो तो खर्चों फ़रीक़ सानी उजुरदारसे दिलाया जावेगा ॥

नज़रसानीफ़ैसला

दफ़ा (६३) अदालत दर्खास्त नज़रसानी आठ आनेके इस्टाम्पपर लेसक्ती है बशर्ते कि अपील उस तजवीज़का दायर न हुआहो और वो दर्खास्त फ़ैसले की तारीख़से तीन महीनेके भीतर गुज़रजाय और उसकी बुनियाद इस्तरहपर हो ॥

(१) कोई नया सुबूत बावजूद पूरी कोशिशके मुकद्दमे की तहक्कीक्रात के वक्त न मिलाहो और पीछेसे निकल आवे ॥

(२) जो कोई बड़ी बेज़ाब्तगीहुई हो या मुकद्दमेकी असली बातोंके समझनेमें श़लती होनेके सबबसे फ़ैसले में रिआयत होगई हो ॥

(३) जो और किसी सबबसे अदालत दर्खास्त नज़रसानी लेना मुनासिब समझे ॥

ऐसीदर्खास्त सिफ़ वोही हाकिम लेसक्ताहै जिस ने पहिले हुक्मदियाहो उसकी ज़गह आनेवालाहाकिम नहीं ॥

लिखनी चाहिये और यह भी कि इतनेफ़ सलेमें उज्जुरहैं
अपील की वजूहात के नम्बर लगाने चाहिये और एक
उज्जुर दुबारानेहीं लिखना चाहिये और जहाँतक हो सके
वजूहात मुख्तसिर हों अपील की अर्जी के साथ उस
अखीरफ़ सले या हुक्म की नकल पेश करनी चाहिये जिस
का अपील किया जाय ॥

दफ़ा (६६) जिस मुक्कदमे में नज़रसानी हो जाय
बसूरत नामंजूरी नज़रसानी के असली फ़ सलेका अपी-
ल न हो सके गा और जो नज़रसानी मंजूर हुई हो तो दूसरे
फ़रीक्को इखतियार हासिल हो गा और अपील की मीआ-
दन नज़रसानी के फ़ सले की तारीख से गिनी जायेगी —

दफ़ा (१००) दख्खर्वास्त अपील बगौर देखने मिसल
आदालत मातहत के खारिजन की जावेगी परंतु जो अपील
की वजूहात का फ़ीन हों तो बगौर बुलाने फ़रीक्कैन मुक्कदमा
के अपील दाखिल दफ्तर किया जासकता है ॥

दफ़ा (१०१) जो अपील की वजूहात मुनासिब मालूम
हों तो उसके सुनने के लिये एक दिन मुक्कर्र किया जायगा
और ज्ञानेदीवान के मुवाफ़िक उसकी इतिलाअ फ़रीक्कैन को दीजा
वेगी और फ़रीक्कैन के उज्जरात और वजूहात पर गौर
किया जावेगा ॥

की मारफ़त हाजिर अदालत हो सके हैं जिसको पूरा इ-
श्वतियार दिया गया हो—

दफ़ा (१०८) हर एक मुख्तार उस अदालत के
अफ़सर का मातहत रहेगा जहाँ वो वकालत करता है
और उन कायदों का पाबंद होगा जो समय २ पर उस अ-
दालत से जारी हों ॥

दफ़ा (१०९) किसी नाबालिग या पागलकी तरफ़
से या उन पर कोई नालिश नहीं सुनी जायगी और जो
किसी मुक़द्दमे में ऐसा फ़रीक हो तो उसके करीब रिश्ते
दार या बली को उस मुक़द्दमे की जवाबदही के लिये ज़रूर
उसके शामिल रखना चाहिये—

दफ़ा (११०) जो क़र्ज़ लेने वाले का कोई ज्ञानि-
नहो तो मुद्दई को इश्वतियार होगा कि वो दोनों पर दावा
करे और जो डिगरी हो जाय तो उनमें से जिससे चाहै
एक से रुपया वसूल करें या दोनों से ॥

दफ़ा (१११) जो किसी मुक़द्दमे में कई मुद्दाओं के हों तो
डिगरी दार को इस्तियार होगा कि चाहे सब से अपना रुपया
वसूल करे या किसी एक से जिसको वो मोतबिर समझे ॥

दफ़ा (११२) कोतवाल वो तहसीलदार हर मही-
ने एक नक्शा उन मुक़द्दमों का जो उनके घर में दायर वो

कानूनराजस्टरी ॥

रियासतशाहपुरा

मुरत्तिबे

बाबूरामजीवन कामदार रियासत शाहपुरा
हस्तुल हुक्म वो मंजूरी राजाधिराज
श्री नाहरसिंहजी साहब रईस शाहपुरा

लखनऊ

मुंशीनवलकिशोर के छापेखाने में छपा

अक्टूबर सन् १८८७ ई० ॥

कवायदर्जिस्टरी रियासतशाहीरा

— * —

दफ़ा (१)—नीचे लिखे हुए लफजोंके यह माने समझे जायगे ॥

(१)—जायदाद मन्कूला में नक्कद रूपया और वो सब चीजें शामिल हैं जिनको उनकी असली हालत में एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें ॥

(२)—जायदाद गैर मन्कूला से वो जायदाद मुराद है जो एक जगह से दूसरी जगह उसकी असली हालत में न उठ सके या न ले जासके जैसे ज़मीन मकान या खड़ी हुई शाख ॥

(३)—हिष्पहनामा वो दस्तावेज़ है जिसकी रूसे कोई शख्स अपना माल वो जायदाद मन्कूला या गैर मन्कूला कि जिसके देनेका उसको पूरा इश्वरियार हो किसी शख्स को देदे ॥

(४)—तब नियतनामा-उस दस्तावेज़ को कहते हैं कि जिसकी रूसे कोई आदमी किसी दूसरेका लड़का गोदले याने अपना लड़का बनाले ॥

दफ्ता (६)—जिस दस्तावेज़ की रजिस्टरी किसी तहसीलमें होनी चाहिये वो महब्बमें खासमें रजिस्टरीके लिये पेशकी जावे तो उसकी रजिस्टरी महब्बमें खाससे करदी जायगी मगर फीस ढुचन्द ली जायगी ॥

दफ्ता (७)—जिन दस्तावेजों का जिक्र ऊपर लिखा गया उनके सिवाय जो दस्तावेजात रजिस्टरी के लिये पेशहों उनकी रजिस्टरी महब्बमें खास में की जायगी ॥

दफ्ता (८)—महब्बमें खास वो दफ्तर सब रजिस्टरार में नीचे लिखे मुवाफ़िक रजिस्टर रखें जायगे ॥

(१)—रजिस्टर वास्तै नक्ल उन दस्तावेजातके कि जो रजिस्टरी के लिये पेशहों ॥

(२)—रजिस्टर जिसमें रोज़मर्राकी आमदनी दिखलाई जाय इसमें फ़रीक्नैनके नाम किस्म दस्तावेज़तादाद मुंदर्जें दस्तावेज़ और तादाद फीस भी लिखी जायाकरे ॥

दफ्ता (६)—ऊपर लिखेहए रजिस्टर किसी जगह से छीले या काटे नहीं जाने चाहिये और नक्लसाफ़ और अच्छे हरफ़ों में लिखी जानी चाहिये हरदस्तावेज़ की नक्ल के नीचे दस्तखत ओहदेदार रजिस्टरीके होने चाहिये और रोज़ाना आमदनी पर भी ओहदेदार मौसूफ़ के दस्तखत होने चाहिये और दस्तावेज़का मु-

(१)— ओहदेदार रजिस्टरी को लाजिम होगाकि पहले तहकीकात इसबातकी करेकि वो दस्तावेज़इन्हीं आदमियों की तरफ से लिखीगईहै कि जिनकी तरफसे तकमील पाना मज्जमूनसे पायाजावे ॥

(२)— इतमीनान बाबत पहिचानने उनआदमियों के जोउसके रूबरू हाजिरहों— और यह बयान करेकि दस्तावेज़ मज्जकूर उनकी लिखी या लिखाई हुईहै ॥

(३)— जिसहालत में कि कोई आदमी क्रायम मुक्कामया मुखतार किसीका हाजिरहोतो इसबातकाइत-मीनान करले कि वो आदमी हाजिर होनेका इश्वरियार रखताहै ॥

(४)— जबइन सबबातोंका इतमीनान होजावे और हाजिर आयेहुए आदमी लिखने दस्तावेज़ वोपाने रूपये का इक्करारकरे— तोओहदेदार रजिस्टरीको लाजिम है कि रजिस्टरी करदे—

दफ्तर (१३)— पश्तदस्तावेज़ परयह बातेंदरजहोनी चाहियें— किदस्तावेज़ लिखने वालेने— लिखनेदस्तावेज़— वोपाने जर समन— सेरूबरू ओहदेदार रजिस्टरी के इक्करार किया— और ओहदेदार रजिस्टरी उसको बजात स्वदजानताहै या फ़लाने फ़लाने गवाहोंने

रजिस्टरी करनेसे इन्कार करनेके सबब ॥

दफा (१६)—जो दस्तावेज़ लिखनेवाला या लिखने वालों में से एक शख्स लिखने दस्तावेज़ वो पानेरुपये से इन्कार करे और उसका वाजिबी सबब बतलावे तो रजिस्टरी नकीजावेगी ॥

दफा (१७)—जो रजिस्टरी के वास्तेकोई हुकम अख्वीर याडिगरी पेश होतो अपीलकी मिअ़ाद गुज़रे तक उसकी रजिस्टरी नकीजावेगी ॥

दफा (१८)—जो ओहदेदार रजिस्टरी को घहमालूम होजावे कि जिस जायदाद के बाबत रजिस्टरी कराई जाती है वो पहिलेबज़रिये रहनयाबै किसी दूसरे के हाथ मुन्तक्किल होचुकी है तो रजिस्टरीसे इन्कार किया जायगा ॥

दफा (१९)—जो इनके सिवाय और कोई खास सबब ओहदेदार रजिस्टरीको इन्कार करनेका मालूम होतो भी रजिस्टरी करनेसे इन्कार कर सकता है ॥

दफा (२०) चूंकिडोहलीवो मुआफ़ीकीज़मीन खास गरज़के साथदी जाती है और उनके इन्तकाल से देने वालेकी असली गरज़ जाती रहती है इसलिये उनका रहनभोगलाऊ याबै होना मुनासिब नहीं है परंतु चूंकि इसमें डोहली और माफ़ीदारों को कुछ सख्ती मालूम

को इखतियार होगा कि चौथाई रुपया नकद देकर बाकी रुपये की वाजिबी क्रिस्ते मुकर्रर कर दे और जमीन पर अपना कब्जा कर ले ॥

(४)— मुआफी दो क्रिस्म की होती है— एक सिर्फ़ इनाम या खैरात के तौर पर कि जिसके एवज़ कोई चाकरी नहीं ली जाती— दूसरी जिसके एवज़ में कोई चाकरी मुकर्रर हो इस पिछली सूरत में जो राजकी चाकरी में कोई फूटूर पड़े तो राजको इखतियार होगा कि जमीन को जब्त कर ले और उस हालत में मुरत हिनका कोई उज्ज़ क्राबिल लिहाज़ के न होगा सिवाय इसके कि उसके करज़े का बोझ गिरवी रखने वाले की ज़ात पर समझा जावे ॥ इस लिये ढोहलीया माझी की जमीन की बाबत जो कोई दस्तावेज़ रजिस्टरी के लिये पेश हो तो उसकी रजिस्टरी करने से पहिले इन सब बातों पर लिहाज़ करना ज़रूर होगा और जो कोई इन में से बात हारिज हो तो रजिस्टरी न की जायगी ॥

दफ़ा (२१) जो कोई जायदाद जिसकी बाबत रजिस्टरी कराई जावे पहिले से वाजिबी तौर पर बज़रिये रहन याबै किसी के हाथ मुन्तक्लिल हो चुकी हो तो हाल की रजिस्टरी का असर पहिले की कार्रवाई पर कुछ न होगा ॥

क्रवायदरजिस्टरी ।

क्राघदों के मुवाफ़िक लाज़िमी है वो बिला रजिस्टरी की हुई किसी अदालत में किसी मुक़दमे में गवाही में न ली जायगी और न उसकी बुनियाद पर कोई दावा सुना जायगा ॥

दफ़ा (२५) ऊपर लिखी हुई दस्तावेज़ के सिवाय जो दस्तावेज़ बाबत माल या जायदाद मनकूला हो उसकी रजिस्टरी इस्तियारी है ॥

क्रायदारजिस्टरी।

१३

क्रिस्मदस्तावेज़	जो तादादनोंचे लिखीसे चिया- दह हो	जो तादाद नी चेलिखीसे जि- यादह नहो	फ़िट तात	फ़िट रुपर
	५००)	५५०)	५।।)	
	५५०)	६००)	६।।)	
	६००)	६५०)	६॥।)	
	६५०)	७००)	७।।)	
	७००)	७५०)	७॥।)	
	७५०)	८००)	८।।)	
	८००)	८५०)	८॥।)	
	८५०)	९००)	९।।)	
	९००)	९५०)	९॥।)	
	९५०)	१०००)	१०।।)	

अबआयन्दाहरसैकडेयाउसकेहिस्सेपर ।

२—बैनामा

	+	२५)	१।)
		५०)	२॥)
		७५)	३॥।।)
		१००)	५।।)
		१२५)	६।।)
		१५०)	७॥।।)
		१७५)	८०।।)
		२००)	९०।।)
		२२५)	११।।)
		२५०)	१२॥।।)
		२७५)	१३॥।।)
		३००)	१५।।)

क्रिस्मदस्तावेज़	जो तादादनोचे लिखी से ज़ियाचेलिखीसे ज़ियादहनहो	जो तादादनी है तादादनी है	प्रत्येक रुपरुप
दह हो	दह हनहो	दह हनहो	दह हनहो
सैकड़े या उस के हिस्सेपर बीसहज़ा रतक			३)

और बीस हज़ारसे ज़ियादह फ़ी सैकड़े या उसके हिस्सेपर— २)

३—हिबहनामाजा			बशरह
यदाद मन्कूला			बैनामा
या गैर मन्कूला			
४—दस्तावेज़ ठेका			बशरह
जो पांचसालसेज़ि-			रहनना
यादहके लिये रञ्ज-			मा
यतको तरफ़ सेहो			
५—फ़ारिगखती	०	०	२)
६—तबनीयतनामा	०	०	२)
७—तक्सीमनामा			
जायदाद मन्कूला			
या गैरमन्कूला	०	०	२)
८—मुख्तारनामा			
आम	०	०	१)



